G&SR

C/S 01 - 31

ATC, JABALPUR

Scanned with CamScanner

शुद्धिपत्र०१

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 01 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

नया सहायक नियम 1.02(5).1(क) के संबंध में पृष्ठ सं. 311 पर उल्लेखित सहायक नियम सं. 14.10.1 में निम्नानुसार संशोधन जारी करने के लिए मुझे एतद द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

सहा.नि. 14.10.1 उपरोक्त के साथ-साथ सहायक नियम 3.38.2 के अनुसार किसी गाड़ी के आगमन के पश्चात रोड साइड स्टेशनों पर ब्लॉक सेक्शन को बंद करने के पूर्व दोहरी लाइन पर पीछे के कांटों एवं इकहरी लाइन पर आगे और पीछे के कांटों को किसी प्रकार के टक्कर को रोकने के लिए घिरी हुयी लाइन के विरुद्ध सेट किया जाना चाहिए।

दुर्घटना के कारण या अन्यथा उपर्युक्तानुसार जब घिरी हुयी लाईन के विरुद्ध कांटों को सेट करना संभव न हो तो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन पर आने वाली गाडी के लोको पायलट को सर्तकता आदेश देने के लिए सूचित किया जायेगा। पीछे के स्टेशन मास्टर को सूचित करने के बाद उपरोक्त साधारण नियम की शर्तो को पूरा करने के बाद ब्लॉक सेक्शन को बंद किया जायेगा।

मल्टीपल/बहु होम सिगनल एवं पूर्णरूपेण ट्रैक सर्किटेड यार्ड वाले जंक्शन/बड़े स्टेशन/यार्ड की स्थिति में, विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, जब गाड़ी आ गई हो तथा प्रथम/बाद के होम सिगनल/सिगनलों के पार पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ हो और ब्लॉक सेक्शन के क्लियरेन्स का ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर स्पष्ट संकेत दे रहा हो साथ ही साथ दिए हुए संकेत के अनुसार गाड़ी का पूर्णरूपेण आगमन हो गया हो तो ब्लॉक सेक्शन को बंद किया जायेगा. स्टेशन मास्टर द्वारा इसे गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु आश्वासन के रूप में लिया जायेगा।

दिनांक 31.07.2017

(मनोज सेठ)
मुख्य परिचालन प्रबंधक
31/7/17

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 02 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे,संस्करण 2016

(1) सहायक नियम 3.78.4 के नीचे पृष्ठ सं. 100 पर नया सहायक नियम 3.78.5 जोड़कर पढ़ा जाए–

सहा.नि. 3.78.5 (क) सेक्शनों में वर्तमान लाइनों के सामानांतर वर्तमान लाइन/लाइनों के दोहरीकरण/तिहरीकरण में नए लाइनों के लिए गाड़ियों के गार्ड/लोको पायलट/सहायक लोको पायलट हेतु विशेष/अलग रोड लार्निंग (सड़क ज्ञान) की आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथापि, नए सेक्शनों अथवा ऐसे सेक्शन जहां दोहरी/तिहरी लाइने उस सेक्शन के सामानांतर न हो अथवा वर्तमान अलाइनमेंट से घुमावदान मार्ग में हो, तो रोड लर्निंग आवश्यक होगा, ऐसे नए सेक्शनों अथवा दोहरी/तिहरी लाइनों के लिए सहायक नियम 3.78.3(क) में लागू नियम लागू किया जायेगा।

शुद्धिपत्र०२

(ग) नए दोहरी/तिहरी लाइन वाले सेक्शनों में लोको पायलट यात्रा शुरू करने से पूर्व संबंधित लॉबी पर्यवेक्षक से सिगनलों की नई स्थितियों का पूर्ण विवरण लेगा।

(घ) वर्तमान सेक्शन में आई.बी.एस प्रारंभ करने अथवा द्वितीय/तृतीय/मध्य लाइन चालू करने पर नए सिगलनों का किलोमीटर वार तथा स्थिति वार (अर्थात RHS दाहिने हांथ की ओर) अथवा (LHS बांए हाथ की ओर) का विनिर्दिष्ट अवस्थिति सहित सर्तकता आदेश 04 महीने तक जारी किया जायेगा।

(ङ) उस सेक्शन में लोको पायलट की प्रथम यात्रा केवल वैसे लोको निरीक्षक अथवा अतिरिक्त लोको पायलट के साथ होगी जो उस नई लाइन में प्रत्येक दिशा से पूर्व परिचित हो। लोको निरीक्षक या अतिरिक्त लोको पायलट, गाडी के लोको पायलट अथवा सहायक लोको पायलट को नई लाइन के मार्ग में पडने वाले सिगनलों एवं अन्य संबंधित जानकारीयों के बारे में गहन काउंसलिंग करेगें तथा इस काउसलिंग की प्रविष्टि लोको पायलट/सहायक लोको पायलट के निष्पादन पुस्तिका में काऊसलिंग का सेक्शन एवं तिथि दर्शाते हुए की जाएगी।

दिनांक 31.07.2017

(मनोज सेठ) 31/7/17
मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

शुद्धिपत्र०३

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 03 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] भारतीय रेलों पर संरक्षा संगठन को सुदृढ़ बनाने के परिप्रेक्ष्य में सहायक नियमों में जैसा की नीचे उल्लेखित है निम्न संशोधन किये जाते हैः-

क्र.	सहा.नियम	पृष्ठ क्र.	लाइन नं.	वर्तमान सहा.नियम के अनुसार सक्षम अधिकारी	संशोधित सहा.नियम के अनुसार सक्षम अधिकारी
1.	4.27.2(छ)	151	4	मुख्य संरक्षा अधिकारी	मुख्य परिचालन प्रबंधक
2.	4.65.3(ख)	190	4	वरि.मं.संरक्षा अधि./मंडल संरक्षा अधि.	वरि.मं.परि.प्र.(सा.) या मं. परि.प्र.(सा.)
3.	15.18.2(2)	344	2	मु.इंजी./मु.ट्रेक इंजी./मु.पु.ईजी./मुख्य परिचालन प्रबंधक/मुख्य संरक्षा अधि./मु.सिग.एवं दू.सं. अभि./मुख्य विद्युत अभि.	प्रमुख मु.इंजी. या मु.ट्रेक इंजी.या मु. पु.ईजी.या मुख्य परिचालन प्रबंधक या मु.परिचा. योजना प्र. या मु.सिग.एवं दू.सं.अभि. या मु.सिगनल इंजी. या मुख्य विद्युत अभि. या मु.विद्युत एवं डिजाइन इंजी.
4.	15.18.2(13)	348	2	मु.इंजी./ मुख्य संरक्षा अधि./मंडल रेल प्रबंधक	प्रमुख मु.इंजी. या मुख्य परिचालन प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक
5.	15.18.2(18)(क)	356	3	मुख्य संरक्षा अधि./मंडल रेल प्रबंधक	मुख्य परिचालन प्रबंधक या मंडल रेल प्रबंधक

[2] सहा.नियम 5.23.7 पृष्ठ क. 217 के नीचे नया सहा. नियम 5.23.8 जोड़कर पढ़ेः-

सहा. नियम 5.23.8 लोको पायलट/सहायक लोको पायलट और गार्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जब दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य किसी कारण से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी के खड़ी हो जाने पर-

यदि गाड़ी खड़ी होने के दौरान एम.आर. प्रेशर गिरना प्रारम्भ हो जाता है तब लोको पायलट, लोको को लकड़ी के पच्चर (विजेज) से सुरक्षित करेगा। चूंकिं एम.आर. प्रेशर कम होना गार्ड द्वारा नहीं देखा जा सकता है क्योंकि एस.एल.आर. में इंजन के समान गेज नहीं होता, अतः लोको पायलट गार्ड को अविलम्ब एम.आर.प्रेशर कम होने की सूचना देगा जिसके बाद गार्ड अंतिम वाहन के नीचे लकड़ी के पच्चर (विजेज) लगाकर गाड़ी को सुरक्षित करेगा।

(Ref:) Rly.Bd's Letter No 2012/Safety(A&R)/19/1 dated 08.12.2016)

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

[3] सहा.नियम 3.64.5(ग) पृष्ठ क. 78 को संशोधित किया गया है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएः-

सहा.नियम 3.64.5(ग) वह पटाखे जिनका निर्माण 2010 या उसके उपरान्त किया गया है के प्रयोग करने की अवधि निर्माण के वर्ष से 5 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि को अधिकतम 3 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है यदि निर्माण के वर्ष से 5 वर्ष पूरे किये हुये पटाखों को प्रभावी पाया जाता है। अवधि को बढ़ाने हेतु, पटाखों के हर बैच/परेषण जिनके निर्माण को 5 वर्ष पूरे हो चुके है, में से दो पटाखे लिए जायेंगे और उनका परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में संतोषप्रद पाये जाने पर 01 वर्ष के लिए प्रयोग की अवधि को बढ़ाया जायेगा। यह प्रकिया उस विशिष्ट बैच/परेषण के लिये हर वर्ष दोहरायी जायेगी तथा पटाखों के प्रयोग की अवधि को निर्माण के वर्ष से अधिकतम 8 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। प्रयोग के लिये निर्धारित अवधि के पूरा होने उपरान्त अप्रयुक्त पटाखों को, जारीकर्ता अधिकारी को नये पटाखों प्राप्ती के बाद लौटाया जायेगा।

[4] सहा.नियम 16.02.1 के नोट पृष्ठ क. 364 में संशोधन किया गया है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएः-

नोट- ऐसे गेट जो केबिन या स्टेशन पर पदस्थ प्वाइंटसमैन द्वारा परिचालित होते है वहाँ उक्त मद (17) से (21) के उल्लिखित उपकरण की आपूर्ति न की जाएः-

शुद्धिपत्र०३

दिनांकः 31 .07.2017.

(मनोज सेठ)
मुख्य परिचालन प्रबंधक
31/7

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 04 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] सहायक नियम 4.31.3 के नीचे पृष्ठ सं. 164 पर नया सहायक नियम 4.31.4 को जोड़कर पढ़ा जाये-

(क) प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी के छूटने के पहले या फिर यात्रा के बीच में कोचों/लोको को रेक के साथ जोड़ने या काटने की स्थिति में या फिर लोकोमोटिव की अदला-बदली की स्थिति में, शंटिंग कार्य पूरा होने के पश्चात गाड़ी के ब्रेक पाईप की निरंतरता की जॉच निम्न विधि द्वारा अवश्य की जायेगी-

1.1 निम्न परिस्थिति में ब्रेक निरंतरता की जांच बिना किसी अपवाद के की जाये:

1.1.1 लोकोमोटिव या अतिरिक्त लोकोमोटिव को ट्रेन के आगे जोड़ा जाता है।

1.1.2 एक या एक से अधिक कोचों को किसी भी क्रम में गाड़ी में लगाया जाता है।

शुद्धिपत्र०४

1.1.3 गाड़ी में सबसे पीछे के भाग को छोड़कर एक या एक से अधिक कोचों को गाड़ी से काटने की स्थिति में किसी तरह के ब्रेक खराबी या अन्य असामान्य स्थिति, में, जिसे सही करने के लिए एंगल कॉक को बंद करना पड़े या किसी कोच या लोकोमोटिव के एफपी/बीपी पाईप को डिसकनेक्ट करना पड़े जो, निरंतरता को भंग करे, के पश्चात।

1.2 गाड़ी के ब्रेक निरंतरता की जॉच निम्न परिस्थिति में आवश्यक नहीं है:

1.2.1 ट्रेन लोकोमोटिव के अलावा अन्य लोकोमोटिव जो सबसे आगे लगा हो, को गाड़ी से अलग करने उपरांत।

1.2.2 जब ट्रेन लोकोमोटिव का उपयोग पूरी गाड़ी के संपूर्ण ब्रेक परिक्षण के लिए किया गया हो तथा परिक्षण के पश्चात गाड़ी के प्रारंभ होने से पूर्व उसे गाड़ी से हटाया नहीं गया हो।

1.2.3 जब ट्रेन लोकोमोटिव या कोच जो गाड़ी के बिल्कुल पीछे लगा हो तथा जिसे गाड़ी से अलग किया जाय।

1.3 परीक्षण के लिए विधि अपनायी जाए।

1.3.1 सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि सारे बीपी तथा एफपी के एंगल कॉक खुली स्थिति में हैं। किन्तु सबसे पीछे वाले कोच के पीछे के एंगल कॉक तथा लोकोमोटिव के स्वतंत्र सिरे का एंगल कॉक बंद स्थिति में होना चाहिए।

1.3.2 लोको पायलट तथा गार्ड आपस में वॉकी-टॉकी से भी परीक्षण को सुनिश्चित करेंगे।

1.3.3 लोको पायलट एफपी तथा बीपी प्रेशर को चार्ज करेगा तथा आगे के ड्राइविंग कम्पार्टमेंट में बीपी तथा एफपी गेज में चेक करेगा कि तथा बीपी का प्रेशर क्रमशः $5.0\pm0.1 kg/cm^2$ तथा $6.0\pm0.1 kg/cm^2$ हो गया है एवं गार्ड से यह

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित करेगा कि पीछे के एसएलआर के बीपी तथा एफपी गेजों में कम से कम प्रेशर क्रमशः 4.8 kg/cm^2 तथा 5.8 kg/cm^2 हो गया।

1.3.4 उसके बाद लोको पायलट बिना विलम्ब के निम्न प्रकिया करें:
लोको पायलट A-9 स्वचलित ब्रैक वाल्व के हैंडिल को घुमाकर एप्लीकेशन स्थिति में लायेगा तथा बीपी प्रेशर को कम करके 4.0 kg/cm^2 तक लायेगा एवं गार्ड से यह सुनिश्चित करेगा कि पीछे के एसएलआर के बीपी का प्रेशर 3.6 kg/cm^2 से 4.0 kg/cm^2 के बीच है, अन्यथा यह ब्रेक पाईप की अनिरंतरता को दर्शाता है, जो गाड़ी परीक्षक कर्मचारी द्वारा ठीक किया जायेगा। किसी भी तरह की ख़राबी को ठीक करने के पश्चात पुनः ब्रेक निरंतरता जॉच 1.3.3 की तरह की जानी चाहिए।

1.3.5 1.3.4 की प्रकिया के बाद लोको पायलट पुनः A-9 स्वचलित ब्रेक वाल्व के हैंडिल को घुमाकर रिलीज स्थिति में लायेगा और यह जॉच करेगा कि बीपी का प्रेशर लोकोमोटिव के गेज में 5.0±0.1 kg/cm^2 हो गया है। तथा साथ ही साथ गार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ब्रेक में बीपी को प्रेशर 4.8 kg/cm^2 हो गया है।

शुद्धिपत्र०४

1.3.6 जब लोकोमोटिव तथा अंतिम एसएलआर/कोच को ब्रेक पाईप प्रेशर स्थिर जाता है तब लोको पायलट स्वचालित ब्रेक वाल्व हैंडिल को HANDLE/OFF/NEUTRAL (यदि उपलब्ध हो तो) में रखकर या अतिरिक्त C-2 रिले वाल्व और लोकोमोटिव के ब्रेक पाईप के बीच उपलब्ध ब्रेक पाईप आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके ब्रेक पाईप में हवा के प्रवाह को बंद करेगा, इसके तुरंत बाद गार्ड निम्न प्रकिया अपनायेगा।

1.3.6.1 यदि एसएलआर अंतिम गाड़ी है तो गार्ड एसएलआर के इमरजेंसी ब्रेक वाल्व को खोलेगा तथा पाईप में हवा का प्रेशर 3.6 kg/cm^2 तक कम करेगा। जैसे ही पीछे के एसएलआर के ब्रेक पाईप में हवा का प्रेशर 3.6 kg/cm^2 के निर्धारित सीमा नीचे आता है गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व को बंद करेगा।

1.3.6.2 यदि एसएलआर अंतिम गाड़ी नहीं है तो गार्ड अंतिम गाड़ी के ब्रेक पाईप का कट ऑफ एंगल कॉक खोलकर ब्रेक पाईप में हवा के प्रेशर को 3.6 kg/cm तक लायेगा तथा जैसे ही ब्रेक पाईप में हवा का प्रेशर 3.6 kg/cm^2 की निर्धारित सीमा तक आ जाये, वह अंतिम गाड़ी के ब्रेक का कट ऑफ एंगल कॉक बंद करेगा। जहाँ गाड़ी परीक्षण स्टाफ पदस्थापित है वह गार्ड को इस कार्य में सहायता करेगा।

1.3.6.3 कम संख्या 1.3.6.1 या 1.3.6.2 के बाद गार्ड लोको पायलट से यह सुनिश्चित करेगा कि लोकोमोटिव के बीपी पाईप का प्रेशर गेज में 3.6

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

kg/cm² से 4.0 kg/cm² के बीच है, अन्यथा यह ब्रेक पाईप की अनिरंतरता को दर्शाता है जिसे गाड़ी परीक्षक कर्मचारी द्वारा ठीक किया जायेगा। किसी भी तरह की खराबी को ठीक करने के पश्चात ब्रेक निरंतरता की जॉच क्रम संख्या 1.3.3 से1.3.6 की प्रकिया द्वारा पुनः की जायेगी।

1.3.7 जब निरंतरता सुनिश्चित कर ली जाती है तथा गार्ड पीछे के एसएलआर के इमरजेंसी ब्रेक वाल्व/अंतिम गाड़ी के ब्रेक पाईप का कट ऑफ एंगल कॉक को बंद कर देगा, तब लोको पायलट ब्रेक पाईप में हवा के प्रवाह को रिचार्ज करने के लिए खोलेगा तथा यह जॉच करेगा कि लोकोमोटिव के आगे के ड्राइविंग कम्पार्टमेंट के बीपी गेज का प्रेशर 5.0+01 Kg/cm² हो गया है साथ ही साथ गार्ड से भी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अंतिम एसएलआर के ब्रेक पाईप में हवा का प्रेशर 4.8 Kg/cm² हो गया है।

शुद्धिपत्र०४

नोट: केवल ब्रेक लगने के बाद बीपी के रिचार्जिंग/रिक्रियेशन, प्रारंभिक चार्जिंग या ACP/TP/GVA की रिसेटिंग के दौरान "REALEASE RUN" पुश बटन स्विच को REALEASE स्थिति में अवश्य रखा होना चाहिए। अन्यथा इसे हमेशा "RUN" की स्थिति में होना चाहिए।

(ख) जिस स्टेशन पर सवारी एंव माल डिब्बा विभाग के कर्मचारी पदस्थ है वहॉ पर कोच को रिलीज करने का कार्य सवारी एंव माल डिब्बा विभाग के कर्मचारीयों द्वारा किया जाएगा। अन्य स्टेशन पर स्टेशन कर्मियों द्वारा किया जायेगा। लोको पायलट, सवारी एंव माल डिब्बा विभाग के द्वारा खतरे का बोर्ड हटाये जाने के बाद अपनी गाड़ी को चलायेगा।

(ग) यात्री गाडी के आने वाले लोको पायलट से "ब्रेक पॉवर सर्टिफिकेट" लेकर सवारी गाड़ी के जाने वाले लोको पायलट को देने की जिम्मेदारी स्टेशन स्टाफ की होगी, चाहे लोको को बदलने का कार्य गाड़ी के उसी छोर पर हो या दूसरे छोर पर हो। आने वाला लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा की "ब्रेक पॉवर सर्टिफिकेट" स्टेशन स्टाफ को सौंप दिया गया है।

(घ) लोको के बदले जाने या आगे से पीछे करने पर या रेक्शल को बदले जाने पर सवारी एंव माल डिब्बा विभाग के पर्यवेक्षक द्वारा अलग से नया "ब्रेक कन्टीन्यूनिटी" प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक:31.07.2017

(मनोज सेठ)
मुख्य परिचालन प्रबंधक
31/7/17

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 05 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

सामान्य एवं सहायक नियम 4.19.3 पृष्ठ क्र 134 को निम्नानुसार पढा जाए :-

स.नि 4.19.3 लोको पायलट का कार्य पर निजी सामान :-

(क) लोको पालयट जब किसी गाडी के इंजन या अकेले इंजन का इंचार्ज है तो उसके पास सामान्य नियम 4.19 के अलावा निम्नलिखित निजी सामान भी अवश्य होना चाहिए :-

(1) सम्पूर्ण और अद्यतन दुर्घटना नियमावली या दुर्घटना नियमावली वह भाग जो उसके कार्य सबंधित हो।
(2) एक डिब्बे में 10 पटाखे।
(3) अनुमोदित डिजाइन की 2 हाथ बत्ती।
(4) डंडे पर लगी दो लाल और एक हरी झंडी।
(5) लोको पायलट मेमो बुक (टी. 245-पी/संशोधित – 1955)
(6) एयर ब्रेक यात्री डिब्बों की एसीपी वाल्व ठीक करने हेतु चाबी।
(7) एक अतिरिक्त हेडलाइट और कैबलाइट बल्ब।
(8) एक एल.ई.डी आधारित फ्लेशिंग हाथ सिगनल लेम्प।
(9) ट्रबल शूटिंग गाइड (केवल डीजल लोको पायलटों के लिए) और एसी लोको पालयटों हेतु ट्रबल शूटिंग डायरेक्ट्री या आपरेटिंग मेन्युअल।
(10) गति केलकुलेटर (यदि विशिष्ट अनुदेशों द्वारा उपलब्ध कराया गया हो तो)
(11) विद्युतीकृत सेक्शनों में कार्यकरने वाले समस्त लोको पालयटों को हल्के वजन के कम्पेक्ट पोर्टेबल टेलीफोन।

(ख) प्रत्येक सहायक लोको पायलट हैन्डी बैग में निम्न सामान अपने कार्य के समय अपने पास रखेगा।

(1) ट्राई – कलर टार्च
(2) डंडे पर लगी लाल और हरी झंडी।
(3) हथौडा स्क्रू ड्राईवर
(4) कार्य संचालन समय सारणी

(ग) डीजल इंजन पर दो अग्निशामक डी.सी./ए.सी. इंजन पर प्रत्येक केब में दो अग्निशमक होने चाहिए। डीजल इंजिन में अग्निशमक का प्रकार मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा निश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त सामानों के अलावा लोको पायलट के पास पोर्टेबल/फील्ड टेलीफोन/मोबाईल रेडियों सेट, चार लकड़ी के पच्चड़, एक अतिरिक्त होज पाईप, निर्वात ब्रेक गाड़ी में एक एक अतिरिक्त फीड पाईप, ब्रेक पाईप, ऐयर ब्रेक गाड़ी में अवश्य रहना चाहिए। लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग केब में आवश्यक उपकरण मौजूद हैं।

(घ) लोको फोरमेन/लोको शेड का पर्यवेक्षक प्रत्येक लोको पायलट /सहायक लोको पायलट के साज सामानों की तीन माह में एक बार जांच करेगा।

संदर्भ – (रेलवे बोर्ड पत्र क्र 2010/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/19/18 दिनांक 21.07.2017)

दिनांक 2 .08.2017

(मनोज सेठ)
मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पर्ची सं. 06 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 147 पर नया सहायक नियम 4.25.1 मद सं. 01 का संशोधन 1(क) एवं (ख) के रूप में किया जाता है तथा जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 4.25.1 गार्ड, गार्ड जनरल एवं वाहन गाइडेन्स:–

(1)(क) कोई भी गाड़ी गार्ड के बिना नही चलेगी। यदि ब्रेकयान उपलब्ध न कराया गया, हो तो गार्ड इंजन में यात्रा करेगा। तथापि, तत्कालिक परिचालनिक आवश्यकता के कारण विशेष स्थिति में, वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक के पूर्वानुमोदन से केवल दिन के समय ही बिना गार्ड के मालगाड़ी को चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में गार्ड की ड्यूटी निभाने हेतु एक प्रशिक्षित ग्रुप 'सी' कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिये जो गाड़ी के संरक्षण एवं सुरक्षित संचलन हेतु आवश्यक पटाखे, एल.ई.डी. फ्लैशिंग हाथ सिगनल बत्ती, लाल एवं हरी झंडी, एच.एस.लैम्प आदि सहित गार्डो के न्यूनतम उपकरण अपने साथ लेकर चलेगा। ऐसी माल गाड़ियों के संचालन का रिकार्ड कंट्रोल कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा।

शुद्धिपत्र०६

(ख) तथापि परिचालनिक आवश्यकताओं के कारण विशेष परिस्थिति मामले में–

(i) सहायक नियम 4.25.1.1(क) के उल्लेखानुसार, यदि स्टेशन में कोई प्रशिक्षित ग्रुप 'सी' कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो तो वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक के व्यक्तिगत पूर्वानुमोदन से बिना गार्ड की गाड़ी का परिचालन किया जा सकता है तथा ऐसे स्थिति में गार्ड द्वारा निर्वाह होने वाले कार्य लोको पायलट द्वारा किये जायेगे। रात्री, कोहरे एवं धुन्ध के मौसम में, एवं सम्पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर तथा दोहरी लाइन वाले सेक्शन में इकहरी लाइन का संचालन होने पर आपातस्थिति के अलावा बिना गार्ड के गाड़ी नही चलाई जाएगी, सिवाय आपात स्थिति में जैसे कोई गार्ड गिर जाये, बीमार हो जाए, या छूट जाये, अथवा किसी दुर्घटना के कारण बिना गार्ड के गाड़ी चलाना आवश्यक हो तो थोड़ी दूरी के लिए अगले नजदीकी स्टेशन तक गाड़ी चलाने की अनुमति दी जा सकेगी जहाँ गाड़ी को सही से स्टेबल कराया जा सके और गार्ड या प्रशिक्षित ग्रुप 'सी' कर्मचारी की व्यवस्था की जा सके।

आपातकाल के दौरान गार्ड/प्रशिक्षित ग्रुप 'सी' के कर्मचारी के बगैर गाड़ी परिचालन हेतु प्रकिया का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाड़ी इंजन से आखिरी डिब्बे तक जो ब्रेकवान भी हो सकता है, निर्वात/एयरब्रेक युक्त है। यदि गाड़ी के प्रस्थान स्टेशन पर गार्ड उपलब्ध नहीं है तो गाड़ी परीक्षक(एस.ई सी एण्ड डब्लू) ऐसी गाड़ी के आखिरी डिब्बे का नम्बर और प्रकार बी.पी.सी. पर लिखेगा। और यदि चालक दल बदलने वाले य बीच के स्टेशनों पर गार्ड उपलब्ध नहीं है तो यह कार्य स्टेशन मास्टर की सूचना के पश्चात गाड़ी के ब्रेक पावर के परीक्षण तथा गाड़ी के आखिरी चार पिस्टन कार्यरत हैं सुनिश्चित करने का कार्य लोको पायलट द्वारा किया जायेगा। बी.पी.सी. पर हस्ताक्षर करने से पहले लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक मात्रा में निर्वात/एयर प्रेशर ब्रेकवान में उपलब्ध है। निर्वात/एयर प्रेशर गेज गाड़ी चलने वाले स्टेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) लोको पायलट अपने पास उपलब्ध लाल झंडी को वाहन के सबसे पीछे वाले छोर पर लगाएगा।

(iv) लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी किया जायेगा व स्टेशन मास्टर आवश्यक पृष्ठांकन द्वारा उल्लेख करेगा कि गाड़ी को बिना गार्ड के चलना है और इस सम्बन्ध में खंड नियंत्रक को प्राइवेट नम्बरों के आदान–प्रदान के साथ नोट कराया जायेगा, जो रास्ते के स्टेशनों को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर, ट्रेन

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

नम्बर प्राप्त होने पर, सिरे के केबिन यदि है और रास्ते के सभी फाटक वालों को जहाँ टेलीफोन सुविधा है तदनुसार प्राइवेट नम्बरों के आदान–प्रदान के साथ नोट करायेगा।

(v) यह स्थिति कि गाड़ी बिना गार्ड के चल रही है और अंतिम डिब्बे का नम्बर प्रत्येक लाइन क्लीयर पूंछ–तांछ पुस्तिका तथा जवाबी पुस्तिका के साथ–साथ प्रस्थान रिपोर्ट पर लिखा जायेगा, जब गाड़ी का संचालन स्वचल ब्लाक पद्वति पर हो रहा है तो लाइन क्लीयर पूंछ–तांछ व जवाबी संदेश गाड़ी सिगनल रजिस्टर पर लिखे जायेंगे। यह कि बिना गार्ड के चल रही गाड़ी के साथ उसके अंतिम वाहन का नम्बर दर्शाते हुये एक अलग से प्राईवेट नम्बर का आदान–प्रदान किया जायेगा।

(vi) इंटरमीडिएट ब्लाक रोक सिगनल को संचालन करने वाले स्टेशन मास्टर को जब ये मालूम होता है कि गाड़ी बिना गार्ड के चल रही है तो गाड़ी को आगे चलाने से पहले वह इंटरमीडिएट ब्लाक पोस्ट से आगे अगले ब्लाक स्टेशन के खंड को एक ब्लाक खंड मानेगा और इंटरमीडिएट ब्लाक रोक सिगनल से अगले ब्लाक स्टेशन तक के ब्लाक खंड के लिए लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा।

शुद्धिपत्र ६

(vii) सहायक लोको पायलट स्टेशन से सीधा निकलते हुए पीछे की ओर तेज नजर रखेगा और स्टेशन कर्मचारियों द्वारा दिखाये जाने वाले किसी भी खतरे के संकेत का आदान–प्रदान करेगा।

(viii) जब ऐसी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती है, तो स्टेशन मास्टर/स्वीचमैन/केबिन मैन यह सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी पूरी आ गई है और जाम पटि्टयों (फाउलिंग मार्क) को साफ करते हुए खड़ी हुई है।

(ix) ऐसी गाड़ी की गति स्टेशनों से गुजरते समय 30 किमी/घंटा होनी चाहिए।

(x) जब ऐसी गाड़ी स्टेशन के मध्य किसी दुर्घटना, विफलता, रूकावट और किसी अन्य परिस्थितियों के कारण रूक जाती है और लोको पायलट को लगता है कि वह आगे नहीं चल पायेगा तो एकहरी लाइन पर वह आगे की दिशा में व सहायक लोको पायलट पीछे की तरफ गाड़ी का बचाव करेंगे। दोहरी लाइन की स्थिति में जब साथ वाली लाइन को रूकावट नहीं है तो लोको पायलट आगे की तरफ सहायक लोको पायलट पीछे की तरफ गाड़ी का बचाव करेंगे। इस स्थिति में कि जब साथ वाली लाइन को रूकावट है तो लोको पायलट पहले साथ वाली लाइन का बचाव करेगा और फिर अपनी लाइन का आगे की तरफ बचाव करेगा और सहायक लोको पायलट पीछे की तरफ।

(xi) बिना गार्ड/प्रशिक्षित ग्रुप 'सी' कर्मचारी के बिना कोई भी गाड़ी भोपाल मंडल के बुदनी–मिडघाट–चौका–बरखेड़ा (अप और डाऊन दोनों दिशा में) सेक्शनों में नहीं चलेंगी।

(xii) स्वचलित (आटोमैटिक) ब्लॉक सेक्शनों/सी.टी.सी क्षेत्र में दूसरी गाड़ी को पीछे अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक आगे जाने वाली गाड़ी जिसको बिना गार्ड के चलने की अनुमति दी गई थी, वह अगले ब्लॉक स्टेशन पर पूरी नही पहुच जाती।

दिनांक 17-10.2017

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 07 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR. 4.09.1(6)(e) at page 105 to be Corrected as under:-

SR. 4.09.1(6)(e)(i) The Loco Pilots and the Guards should hand over the Caution Orders to the Lobby Supervisors at the end of their Journey along with other train papers.

(ii) Incoming Loco Pilots and Guard who are regularly relieved enroute station due to link working, in section mentioned in caution order, will also hand over caution order received from last caution notice station to out going Loco Pilots and Guard along with other train documents. Lobby supervisor (Loco) and station master to ensure by regular checking that the correct procedure is being followed for Crew and Guard respectively.

शुद्धिपत्र ०७

(iii) In case there is deference between two caution orders LP/ALP/Guard will follow the restricted caution order. This fact will be brought into notice at the end of journey in register kept in lobby and also advise Station Master before start of journey through wallke talkie.

संशोधन पर्ची सं. 07 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] सहायक नियम 4.09.1(6)(ङ) पृष्ठ सं. 116 में निम्नानुसार पढ़ा जाये-

स. नि. 4.09.1(6)(ङ)(i) लोको पायलट और गार्ड अपनी यात्रा के अंत में गाड़ी के अन्य कागजातों के साथ सतर्कता आदेशों को लॉबी पर्यवेक्षकों को सौंप देंगे।

(ii) लोको पायलट और गार्ड जो कि पिछले नोटिस स्टेशन से प्राप्त सतर्कता आदेश में इंगित खंड के किसी स्टेशन पर "लिंक वर्किंग" के कारण नियमित रुप से कार्य मुक्त होते हों, वे सतर्कता आदेश जो पिछले सतर्कता आदेश नोटिस स्टेशन से प्राप्त हुआ हो को गाड़ी के अन्य कागजातों के साथ आगे जाने वाले लोको पायलट एवं गार्ड को सुपुर्द करेगा। लॉबी पर्यवेक्षक नियमित जॉच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सही प्रकिया का पालन हो रहा है।

(iii) यदि दोनों सतर्कता आदेश में कोई अन्तर है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/गार्ड उस सतर्कता आदेश का पालन करेंगे जो अधिक गति प्रतिबंध करता है और इस तथ्य को यात्रा के अंत में लॉबी में रखी पंजिका में इंगित करेंगे एवं यात्रा प्रारंभ करने पूर्व लोको पायलट स्टेशन मास्टर को वॉकी-टॉकी पर जानकारी देगा।

दिनांक 10.10.2017

(मनीष सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 08 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR 16.03.1 at page 333 is to be revised read as under-

S.R.16.03.1(a) Detailed Gate Working Instructions for all type of the gates shall be prepared including the normal position of the gate. The Gate Working Instructions for all traffic gates and the engineering gates provided with telephone shall be incorporated in the SWR of the station. These instructions shall be framed by engineering branch signed by Sr.DEN with prior approval of Sr.DOM and Sr.DSTE. In case there is no Sr.DEN in charge of the section, DEN incharge of section shall sign the Gate working instructions. A copy of these rules/relevant extract from the Station Working Rule should be hung up at the gate lodge at manned level crossing.

(b)The gate working instructions shall be prepared in English and Hindi / vernacular languages. The rules regarding validity & renewal will be the same as prescribed in SWR.

Date: .10.2017

शुद्धिपत्र०८

(Manoj Seth)
PCOM/WCR
17/10/17

संशोधित शुद्धि पर्ची सं. 08 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

(1) सहायक नियम 16.03.1 पृष्ठ कं 366 को संशोधित कर निम्न प्रकार पढा जाए–

स.नि. 16.03.1(क) सभी प्रकार के फाटकों के संचालन जिसमें फाटक की सामान्य स्थिति भी शामिल है, उनके विस्तृत अनुदेश तैयार किए जाएं। सभी यातायात व इंजीनिरियरिंग फाटक जिसमें टेलीफोन लगे हो, के संचालन अनुदेश स्टेशन के स्टे. सं.नि. में शामिल किए जाएं। यह अनुदेश इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक और वरि. मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से सेक्शन के वरि. मंडल इंजीनियर के हस्ताक्षर के अधीन तैयार किये जायेंगे। यदि खंड मे वरि.म.इंजी. प्रभारी नहीं है, तो खंड के म.इंजी. प्रभारी गेट संचालन अनुदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। इन नियमों/स्टेशन संचालन नियमों से संबंध उद्धरणो की एक प्रति ऐसे समपार फाटक की गुमटी में टांगी जानी चाहिये जहाँ फाटक वाला नियुक्त है।

(ख) फाटक संचालन के अनुदेश अंग्रेजी तथा हिन्दी / स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएें। वैधता व नवीकरण संबंधी नियम स्टेशन संचालन नियम के समान ही रहेंगें।

दिनांक .10.2017

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
17/10/17

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

विषय :– आईबीएस के आगे एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित फाटक सिग्नल वाले फाटक होने पर संचालन के बारे में निर्देश।

संदर्भः– Amendment Slip No.9 to the WCR/G&SR 2016 Dated 27-03-2018

****

शुद्धि पत्र -9

मंडल में वहुत से ब्लॉक खण्डों में लगाये गये आईबीएस सिग्नल फाटक सिग्नल से एक किमी से कम दूरी पर स्थित है एवम कुछ आईबीएस सिगनल फाटक सिगनलों से भी सम्बद्ध है। इस प्रकार के आईबीएस सिग्नलों को 'ऑन' स्थिति में पार करने की कार्य पद्वति सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका संस्करण के संशोधन पत्र संख्या 9 में वर्णित है। कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु ये नियम पुनः दोहराये जा रहे है।

ऐसे आईबीएस सिगनल जिनसे 1 किलोमीटर दूरी सीमा में फाटक सिगनल स्थित है, वहॉ पर आईबीएस खराब होने पर या आंन मिलने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाना चाहियेः–

- जब लोको पायलट मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट) सिगनल को ऑन पाता है, तब वह अपनी गाडी को सिग्नल के पूर्व रोकेगा और इसकी जानकारी गार्ड को स्पष्ट अंतराल पर एक लंबी सीटी बजाकर देगा तथा पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टे.मा. से सिग्नल पोस्ट पर इस उद्देश्य हेतु प्रदान टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करेगा।
- यदि लोको पायलट द्वारा पिछले स्टेशन से संपर्क करने पर स्टेशन मास्टर यह पाता है कि आईबीएस सिग्नल खराब है तो वह अगले स्टेशन से गाड़ी के लिये लाइन–क्लियर प्राप्त करेगा तथा यदि समपार–फाटक आईबीएस के द्वारा सुरक्षित है या समपार–फाटक सिग्नल आईबीएस सिग्नल के आगे एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है तो वह फाटक वाले से समपार फाटक के रोड यातायात के विरूद्व बंद होने के प्रमाण में प्राप्त प्राइवेट नंबर भी प्राप्त करेगा

Scanned with CamScanner

और लाइन–क्लियर के लिये प्राप्त होने वाले प्राइवेट नं. के अलावा एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित फाटक वाले से समपार फाटक के रोड यातायात के विरूद्ध बंद होने के प्रमाण में प्राप्त प्राइवेट नंबर लोको पायलट को बतायेगा । आईबीएस सिग्नल से एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित फाटक यदि आगे के स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़ा हुआ है तो वह फाटक बन्द होने के प्रमाण में प्राप्त प्रायवेट नंबर आगे के स्टेशन से प्राप्त करेगा । लाइन–क्लियर के प्राइवेट नंबर के साथ गेट बंद होने का प्रायवेट नंबर लोको पायलट को बताया जावेगा जिन्हें वह अपनी मेमो बुक में दर्ज करेगा।

- यदि मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट) रोक सिगनल पर लगाया गया टेलीफोन बिगड गया हो और लोको पायलट पिछले स्टेशन से सम्पर्क करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में वह 5 मिनट तक ऐसे सिगनल पर प्रतीक्षा करेगा और यदि इस अवधि के दौरान सिग्नल ऑफ नही किया जाता है तो वह एक लम्बी सीटी बजाकर, जिसकी आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति की जा सकती है, गार्ड को इसकी सूचना देगा और फिर उससे सब ठीक है सिगनलों को आदान–प्रदान करने के बाद मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट) ब्लॉक रोक सिगनल को ऑन स्थिति में पार कर सतर्कतापूर्वक अगले ब्लॉक खंड में जायेगा। जब किसी मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट) ब्लॉक रोक सिगनल को इस प्रकार पार किया जाता है तो दृश्यता अच्छी होने पर गाडी की रफतार 15 कि.मी.प्र.घं. से अधिक नही होगी । जहां किसी भी कारण से आगे का रेलपथ साफ–साफ दिखाई न पडता हो तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढेगा, जो किसी भी कारण से 8 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न होगी। इस दौरान लोको पायलट अत्याधिक सतर्क रहेगा एवं सामान्य नियम 3.73 (2) (b) एवं (c) का भी पालन करते हुए रास्ते में पडने वाले समपार फाटक सिगनलों/समपार फाटकों को देखते हुए सतर्कता पूर्वक आगे की ओर बढता रहेगा जब तक कि वह अगले स्टेशन के होम सिगनल के नीचे तक नही पहुंच जाता। होम सिगनल ऑफ स्थिति में होने पर भी लोको पायलट होम सिगनल के पहले किसी भी अवरोध होने की संभावना को देखता रहेगा जब तक कि वह होम सिगनल के नीचे तक नही पहुंच जाता। लोको पायलट होम सिगनल के संकेत को तभी मानेगा जब वह होम सिगनल पर पहुंच जावें। अगले स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात लोको पायलट सिगनल/टेलीफोन के खराबी की सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

- यदि पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को किसी गाड़ी को प्रस्थान सिग्नल देने के पूर्व इस बात की जानकारी है कि आईबीएस सिग्नल खराब है तो वह अगले स्टेशन से गाड़ी के लिये लाइन–क्लियर प्राप्त करेगा तथा यदि समपार–फाटक आईबीएस के द्वारा सुरक्षित है या समपार–फाटक सिग्नल आईबीएस सिग्नल के आगे एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है तो वह फाटक वाले से समपार फाटक के रोड यातायात के विरूद्ध बंद होने के प्रमाण में प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा और लाइन–क्लियर के लिये प्राप्त होने वाले प्राइवेट नं. के अलावा एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित फाटक वाले से समपार फाटक के रोड यातायात के विरूद्ध बंद होने के प्रमाण में प्राप्त प्राइवेट नंबर को भी प्राधिकार पत्र टी 369/3बी पर दर्ज

करेगा । एक किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित फाटक यदि आगे के स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़ा हुआ है तो वह फाटक का प्रायवेट नंबर आगे के स्टेशन से प्राप्त करेगा और दोनों प्रायवेट नंबरों की प्रविष्टि प्राधिकार पत्र टी 369/3 बी पर भी करेगा एवं लोको पायलट को सौपेगा।

सर्व संबंधित एवं पर्यवेक्षक ऊपर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को दें।

उपरोक्त दिये गये निर्देश किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों/ स्टेशन संचालन नियमों का उल्लंघन नहीं करते।

(हरीष बिल्लौरे) 17/04/18
वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक
(सामा. एवं योजना.)/जबलपुर

प्रतिः— मण्डल रेल प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ।
प्रतिः— वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
प्रतिः— वरि. मंडल सिग. एवं दूर अभि. (को) को सादर सूचनार्थ।
प्रतिः— वरि. मंडल विद्युत अभि. (टीआरओ) को उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु समस्त लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलटों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के संबंध में एवं आपके सादर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 10 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 184 पर दिये गये सहायक नियम 4.57.2 के नीचे नया सहायक नियम 4.57.3 को जोड़कर निम्नवत पढ़ा जाये–

स. नि. 4.57.3 इंजन को काटने/जोड़ने के दौरान कोचिंग रेकों/स्टाक को लुढ़कने से रोकने की कार्यप्रणाली:–

(1) जब भी किसी गाड़ी को स्टेशन पर खड़ी करने के लिए लाया गया हो और लोको को वाहन के साथ या बिना वाहन के शेष गाड़ी से काटना आवश्यक हो, तो लोको पायलट को लोको काटने से पहले A-9 का उपयोग करते हुये यह सुनिशचित कर लेना चाहिएँ कि गाड़ी के ब्रेक लगे हुई स्थिति में हैं। इस प्रकार लगाये गए ब्रेक को ऑन ड्यूटी सी एण्ड डब्लू स्टाफ द्वारा जिस छोर पर लोको (आउटगोईंग) लगाया जा रहा है उस छोर के प्रथम पाँच कोचों के ब्रेक को छोड़कर, शेष कोंचों के ब्रेक रिलीज किये जाऐगें। शेष पॉच कोचों के ब्रेक को जाने वाले लोको (आउटगोईंग) को जोड़ने और पूरी गाड़ी में एयर प्रेशर रिचार्ज करने के बाद ही रिलीज किया जायेगा।

यदि गाड़ी को 30 मिनट से अधिक समय के लिए बिना इंजन के रखा जाना हो तो ऑन ड्यूटी शंटिंग स्टाफ गाडी के अगले कोच/एसएलआर के पहियों के नीचे दो लकड़ी के गुटके एवं पिछले कोच/एसएलआर के पहियों के नीचे दो लकड़ी के गुटके लगाएगा। इस प्रकार लगाए गए लकड़ी के गुटकों को शंटिंग स्टाफ द्वारा तभी हटाया जाएगा जब जाने वाला लोको (आउटगोईंग) को जोड़ दिया गया हो। आउटडोर उप स्टे. मास्टर/शंटिंग मास्टर/गार्ड व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगें कि यह कर दिया गया है।

रोड साइड स्टेशनों पर गाडी के ब्रेक, उपलब्ध चालक दल/शंटिंग स्टाफ/स्टेशन स्टाफ द्वारा रिलीज किए जाएँगे।

सामान्य नियम 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.20, 5.21 तथा इन सामान्य नियमों में दिए गए सहायक नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित अन्य प्रावधानों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(2) आउटडोर उप स्टे. मास्टर/शंटिंग मास्टर/गार्ड यात्री गाड़ियों के इंजन को जोड़ने/काटने/ लोको रिवर्सल से जुड़ी संपूर्ण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(3) लोको बदलने और/या लोको रिवर्सल के समय अपनाई जाने वाली प्रकिया:–

(क) जब आने वाले और जाने वाले लोको को एक ही सिरे पर (सेम एण्ड) काटना/जोड़ना हो–

(i) उपर्युक्त पैरा (1) में यथा निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाएगा।
(ii) गाड़ी का आवक गार्ड (इनकमिंग) एसएलआर को छोड़ने के पहले यह सुनिश्चित करेगा कि एसएलआर के हैंड–ब्रेक लगा दिए गए हैं।
(iii) गाड़ी का जावक गार्ड (आउटगोईंग) यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी प्रस्थान करने के लिए सब ठीक है सिगनल (ऑल राइट सिगनल) देने से पहले हैंड–ब्रेक रिलीज कर लिए गए हैं।

(ख) जब आने वाले और जाने वाले लोको को अलग–अलग सिरे से (अदर एण्ड) से काटना/जोड़ना हो–

(i) उपर्युक्त पैरा (1) में यथा निर्धारित प्रकिया का पालन किया जाएगा।
(ii) गाड़ी का आवक गार्ड (इनकमिंग) यह सुनिश्चित करेगा कि एसएलआर को छोड़ने के पहले ब्रेकयान/एसएलआर के हैंड–ब्रेक लगा दिए गए हैं।
(iii) लोको जोड़ने के बाद, लोको जोड़ने के लिए नामित कॉटेवाला एसएलआर के हैंड–ब्रेक रिलीज करेगा। खतरा बोर्ड (डैंजर ब्रोर्ड) को हटाने के लिए नामित सीएण्डडब्ल्यू स्टाफ यह सुनिश्चित करेगा कि "खतरा बोर्ड" हटाने से पहले एसएलआर के हैंड–ब्रेक रिलीज कर दिए गए हैं।
(iv) ऐसे मामले, जिसमें यदि गाडी से आने वाले लोको (इनकमिंग) को गाड़ी के एक छोर से काटना हो और कोई दूसरे लोको (आउटगोईंग) को गाड़ी के दूसरे छोर से जोड़ना हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि काटे गए लोको (इनकमिंग) को तब तक नहीं हटाया जाए जब तक दूसरे सिरे पर जाने वाला लोको (आउटगोईंग) को जोड़ न दिया गया हो।

(4) यांत्रिक (सीएण्डडब्ल्यू) विभाग विभिन्न प्रकार के कपलिंग (युग्मक) की जानकारी के संबध में परिचालन स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 01.06.2018

शुद्धि पत्र 10

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 11 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR. 3.61.2(a) 'Precautions during fog' at page 69 is revised and to be read as under:-

SR. 3.61.2 Precautions during fog-

(a)(i) Speed during fog in absolute block system- The Loco Pilot shall not exceed the speed of 60 KMPH in absolute block system. The speed of the locomotives provided with the fog safe device can be raised up to 75 kmph subject to the judgment of the Loco Pilot. Depending upon the severity of the fog, the Loco Pilot shall control the speed of the train.

(ii) Speed during fog in automatic section- After passing an Automatic stop signal at 'Green', the speed shall not exceed 60 kmph. After passing an Automatic stop signal at 'Double Yellow', the speed shall not exceed 30 kmph. After passing an Automatic stop signal at 'Yellow', the Loco Pilot shall run at a further restricted speed so as to be prepared to stop at the next stop signal. Depending upon the severity of fog, the Loco Pilot shall control the speed of the train.

शुद्धिपत्र११

संशोधित पर्ची सं. 11 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 75 पर सहायक नियम 3.61.2 (क) 'कोहरे के दौरान सतर्कता' में संशोधन किया जाता है तथा जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स. नि. 3.61.2 'कोहरे के दौरान सतर्कता–

(क) (i)कोहरे के समय पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गति– लोको पायलट पूर्ण ब्लॉक पद्धति में 60 कि.मी.प्र.घं. की गति से अधिक नहीं करेंगें। लोको पायलट अपने विवेक से, फॉग सेफ डिवाइस के साथ प्रदान किए गए लोकोमोटिव की गति को अधिकतम 75 किमीप्रघं तक बढा सकता है। कोहरे के घनत्व के हिसाब से लोको पायलट गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा।

(ii) कोहरे के समय स्वचलित ब्लॉक खंड में गति–सिगनल 'ग्रीन', होने पर आटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद गाड़ी की गति 60 किमीप्रघं से नहीं बढ़ाई जाएगी। सिगनल 'डबल येलो', होने पर आटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद गाड़ी की गति 30 किमीप्रघं से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। 'येलो', सिगनल होने पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद लोको पायलट गाड़ी को प्रतिबंधित गति पर चलाएगा ताकि वह अगले स्टॉप सिगनल पर गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहे। कोहरे के घनत्व के हिसाब से लोको पायलट गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा।

दिनांक 11.05.2018

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

शुद्धि पत्र- 12

संशोधित पर्ची सं. 12 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 369 पर सहायक नियम 16.03.05 संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 16.03.05: टेलीफोन द्वारा स्टेशन से जुड़े तथा फाटक सिग्नल द्वारा अंतर्पाशित (इंटरलॉक्ड) यातायात एवं इंजीनियरिंग समपार फाटक और 'सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला' :–

1.(क) यातायात फाटक– किसी गाड़ी को स्टेशन से जाने की अनुमति देने या आगमन सिग्नल ऑफ करने से पूर्व, स्टेशन मास्टर टेलीफोन पर गाड़ी का नंबर, विवरण और गाड़ी की दिशा फाटकवाले को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर एवं फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में उपयुक्त प्रविष्टियॉं की जायेगी।

(ख) इंजीनियरिंग फाटक– (i) किसी गाड़ी को स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति देने से पूर्व, स्टेशन मास्टर टेलीफोन पर गाड़ी का नंबर, विवरण और गाड़ी की दिशा फाटकवाले को सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर एवं फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में उपयुक्त प्रविष्टियॉं की जायेगी।

(ii) ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए फाटकवाला, फाटक बंद करने के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करेगा।

2. फाटकवाला टेलीफोन से इस सूचना को प्राप्त कर लेने के बाद फाटक को सड़क यातायात के लिये बन्द व तालित करेगा इसके बाद वह फाटक का सिग्नल 'ऑफ' कर देगा या चाबी स्टेशन मास्टर को स्थानांतरित करेगा, जैसा मामला हो।

3. गेटफोन खराब होने की स्थिति में सहायक नियम 16.03.2 (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. फाटक पल्ले/बैरियर/चाबी की खराबी या टूट–फूट के कारण फाटक एवं सिग्नल के अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग) में खराबी के मामले में फाटक को अनन्तपार्शित (नॉन–इंटरलॉक्ड) माना जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और ट्रेनों को टेलीफोन से जुड़े नॉन–इंटरलॉक वाले गेट के लिए निर्धारित नियम के अनुसार काम किया जाएगा।

[2] पृष्ठ सं. 369 पर सहायक नियम 16.03.06 संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 16.03.06: टेलीफोन द्वारा स्टेशन से जुडे अनन्तर्पाशित (नॉन–इटरलॉक्ड) यातायात एवं इंजीनियरिंग समपार फाटक और 'सामान्य स्थिति सडक यातायात के लिए बंद' :–

1. फाटकवाला, फाटक खोलने के लिए स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।

2. स्टेशन मास्टर फाटक खोलने की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक की तरफ किसी गाड़ी का संचलन नहीं है। उसके बाद, प्राइवेट नंबर के आदान–प्रदान के साथ फाटक खोलने की अनुमति दी जायेगी और स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर तथा फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में लाल स्याही के साथ समुचित प्रविष्टि की जायेगी।

3. स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर आदान–प्रदान करने एवं गेट लॉग बुक में इसकी प्रविष्टि करने के बाद फाटकवाला रेलपथ के दोनों ओर 5 मीटर की दूरी पर दिन में लाल बैनर झंडी(फ्लैग) और रात में लाल बत्ती लगायेगा और इसके बाद ही सड़क यातायात के लिए फाटक खोलेगा।

4. सड़क यातायात पारण (गुजारने) के बाद फाटकवाले द्वारा फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद और तालित किया जायेगा तथा लाल बैनर झंडी(फ्लैग)/लाल बत्ती को हटाया जायेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान–प्रदान के साथ करेगा, पुनः इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर तथा फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में प्रविष्टि का समय दर्शाते हुए की जायेगी।

5. सड़क यातायात के विरूद्ध फाटक को बंद करने और लॉक करने के बाद, फाटकवाला इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं खोलेगा जब तक की उसे स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर के आदान–प्रदान के साथ इसकी अनुमति प्राप्त नहीं होती है।

6. स्टेशन मास्टर यदि आवश्यक हो तो, न्यूनतम एक घंटे में तीन बार पॉंच मिनट की अवधि के लिए गेट खुलवाना सुनिश्चित करेगा ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं से फाटकवाला पर कोई अवांछित दबाव न हो लेकिन उपरोक्त पैरा 1 से 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

7. फाटक खोलने की अनुमति देने के बाद गेटफोन खराब होने की स्थिति में सहायक नियम 16.03.2 (ग) के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

8. तथापि, एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, फाटकवाला द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान–प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से किया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर एकहरी/दोहरी/मल्टीपल लाईन पर कोई गाड़ी संचलन नहीं है।

[3] पृष्ठ सं. 370 पर नया सहायक नियम 16.03.07 जोड़ा जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स. नि. 16.03.07: <u>टेलीफोन द्वारा स्टेशन से जुड़े अनन्तर्पाशित (नॉन–इंटरलॉक्ड) यातायात एवं इंजीनियरिंग समपार फाटक और 'सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला'</u> :–

1. स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की अनुमति देने से पहले (पिछले स्टेशन को लाइन क्लीयर देने या गाड़ी को प्रस्थान सिग्नल ऑफ करने) फाटकवाले को टेलीफोन से गाड़ी का नंबर, विवरण, दिशा तथा गाड़ी के फाटक से गुजरने का संभावित समय प्राइवेट नंबर के साथ बताएगा और इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर एवं फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में की जायेगी।

2. फाटकवाला टेलीफोन से इस सूचना को प्राप्त कर लेने के बाद फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द व तालित करेगा और इसके बाद प्राइवेट नंबर के साथ इस बारे में स्टेशन मास्टर को इसकी पुष्टि करेगा और इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर एवं फाटकवाले द्वारा गेट लॉग बुक में की जायेगी।

3. स्टेशन मास्टर प्रस्थान/आगमन सिग्नलों को फाटकवाले से प्राइवेट नंबर मिल जाने के बाद ऑफ करेगा।

4. फाटक एक बार सड़क यातायात के लिए बंद होने पर किसी स्थिति में नहीं खोला जायेगा जब तक कि स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नंबर आदान–प्रदान के साथ अधिकृत नहीं किया जाता है। स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर आदान–प्रदान करने एवं गेट लॉग बुक में इसकी प्रविष्टि करने के बाद फाटकवाला रेलपथ के दोनों ओर 5 मीटर की दूरी पर दिन में लाल बैनर झंडी(फ्लैग) और रात में लाल बत्ती लगायेगा और इसके बाद ही सड़क यातायात के लिए फाटक खोलेगा।

5. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, फाटकवाला द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान–प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से किया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर एकहरी/दोहरी/मल्टीपल लाईन पर कोई गाड़ी संचलन नहीं है।

6. फाटक खोलने की अनुमति देने के बाद गेटफोन खराब होने की स्थिति में सहायक नियम 16.03.2 (ग) के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा।

रिमार्क:– 1. यह संशोधन 01.10.2018 से प्रभावी होगा, इस बीच मंडलों को फाटक संचालन नियमों को संशोधित करना चाहिए और मंडलों के वरि.मं.परि.प्रबंधक/वरि.मं.इंजी.(को)/वरि.मं.संरक्षा अधिकारी/वरि.मं.विघुत इंजी.(परि.)/वरि. मं. यांत्रिक इजी.(परि) यह सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड स्टाफ ने उपरोक्त परिवर्तनों को सही ढ़ंग से समझ लिया है और उनकी अभिस्वीकृति 30.09.2018 तक प्राप्त करें।

2. मंडलों द्वारा फाटकवाला और उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर जिसके साथ गेटफोन जुड़ा हुआ है, को उपरोक्त बदलावों के बारे में शिक्षित किया जायेगा। समपार फाटकों और स्टेशनों पर यातायात निरीक्षकों/पीडब्ल्यूआई (सेक्शन इंजीनियर/पी.वे.) को 2–3 दिनों के लिए नियुक्त करके सुचारू रूप से उपरोक्त परिवर्तन को सुनिश्चित किया जाये।

3. फाटक नियमों के इस बदलाव से संबंधित कर्मचारियों को क्षेत्रिय रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों, संरक्षा शिवरों तथा मंडलों के इंजीनियरिंग और यातायात प्रशिक्षण केन्द्रों में आवधिक पुनश्चर्या कोर्स/सक्षमता प्रमाण पत्र कोर्स आदि में यातायात निरीक्षकों/पीडब्ल्यूआई (सेक्शन इंजीनियर/पी.वे.)/स्टेशन मास्टरों/फाटकवालों को बताया जायेगा।

4. मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक इस संशोधन पर्ची को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त सावधानियाँ ली जा चुकी है।

दिनांक 8.06.2018

(मनोज सेठ) 8.6.18
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Amendment Slip No. 13 to the WCR/G&SR 2016 (English)

(1) Item no 5 of SR 16.03.07 issued vide Amendment slip no. 12 is to be revised and read as under:-

SR 16.03.07 revised item no 5-

Gate once closed can be opened by the Gateman (after passage of train/trains or change in planning of train movement etc.) with the permission of Station Master as the need of opening is known to Gateman according to road traffic to be cleared. It can be done only after exchange of private number from the controlling Station Master who will ensure that there is no train movement towards the level crossings on double/multiple lines. However, on a single line, the Gateman can open the gate after the complete passage of the train from the gate by observing the tail board/tail lamp without exchanging private number with station master to clear the road traffic.

शुद्धिपत्र १३

संशोधित पर्ची सं. 13 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

(1) संशोधन पर्ची सं. 12 द्वारा जारी सहायक नियम 16.03.07 के मद सं. 5 को संशोधित किया गया है इसे निम्नवत् पढ़ा जाए-

स.नि. 16.03.07 संशोधित मद सं. 5-

5. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचलन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, फाटकवाला द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से किया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर दोहरी/मल्टीपल लाईन पर कोई गाड़ी संचलन नहीं है। तथापि इकहरी लाइन में, गेट से गाड़ी टेल बोर्ड/टेल लैम्प के साथ पूर्ण तरह गुजर जाना सुनिश्चित करने के बाद फाटकवाला, स्टेशन मास्टर से बिना प्राईवेट नंबर के आदान-प्रदान के सड़क यातायात गुजारने के लिए फाटक खोल सकता है।

दिनांक 2/06.2018

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
2/6/18

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

संशोधित पर्ची सं. 14 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

1] पृष्ठ सं. 55 पर सामान्य नियम 3.47 के नीचे नया सहायक नियम 3.47.1 जोड़ा गया है जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 3.47.1 गाड़ियों का एक साथ संचलन–

(क) इकहरी लाइन पर अंतपार्शित (इंटरलॉक्ड) स्टेशनों पर, जहाँ गाड़ियों को बिना रूके सीधे जाने की अनुमति है, वहाँ दो या अधिक गाड़ियों के एक साथ संचलन के लिए सिग्नल "ऑफ" किये जा सकते हैं, बशर्ते कि–

(i) स्टेशन यार्ड ऐसा बनाया गया हो और अंतपार्शन (इंटरलॉकिंग) की ऐसी व्यवस्था की गई हो कि प्रत्येक गाड़ी को उस लाइन पर लिया जाए जो अन्य लाइन/लाइनों से पृथककृत (आइसोलेटेड) हो या;

(ii) अनुमोदित विशेष अनुदेश प्राप्त कर लिए गए हों और अधिसूचित कर दिए गए हों और;

(iii) स्टेशन संचालन नियम में ऐसी कार्यविधि शामिल कर ली गई हो।

(ख) इकहरी लाइन पर अंतपार्शित (इंटरलॉक्ड) स्टेशनों पर, जहाँ किसी भी गाड़ी को बिना रूके सीधे जाने की अनुमति न हो और लाइनें भी पृथककृत (आइसोलेटेड) न हो, वहाँ दो या अधिक गाड़ियों के एक साथ संचलन के लिए सिग्नल "ऑफ" किए जा सकते हैं, बशर्ते कि–

शुद्धि पत्र- 14

(i) सामान्य नियम 3.40 का पालन किया गया हो, और;

(ii) स्टेशन संचालन नियम में ऐसी कार्यविधि शामिल कर ली गई हो।

(ग) बड़े/जंक्शन स्टेशनों पर एक ही समय दो या दो से अधिक गाड़ियों को संचलन के लिए सिग्नल "ऑफ" किए जा सकते हैं, बशर्ते कि–

(i) स्टेशन ऐसा बनाया गया हो और अंतपार्शन (इंटरलॉकिंग) की ऐसी व्यवस्था हो कि प्रत्येक गाड़ी को उस लाइन पर लिया जाए, जो अन्य लाइन/लाइनों से पृथककृत (आइसोलेटेड) हो या;

(ii) सामान्य नियम 3.40 का पालन किया गया हो, या;

(iii) विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, मेन सिग्नल पर गाड़ी के संचलन के दौरान, जिस स्थान पर गाड़ी को रोका जाना है उस स्थान से न्यूनतम 120 मीटर की दूरी के आगे एक ही दिशा में अपृथक (नॉन–आइसोलेटेड) लाइन पर एक साथ गाड़ियों के संचलन की अनुमति दी जा सकती हो, और/या;

(iv) विशेष अनुदेशों के अंतर्गत, कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी संचलन के दौरान, उस स्थान के आगे जहाँ गाड़ी को रोका जाना है, एक ही दिशा में अपृथक (नॉन–आइसोलेटेड) लाइन पर एक साथ गाड़ियों के संचलन की अनुमति दी जा सकती है, तथा;

(v) स्टेशन संचालन नियम में ऐसी कार्यविधि शामिल कर ली गई हो।

दिनांक: 20.08.2018

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

Amendment Slip No. 15 to the WCR/G&SR 2016 (English)

SR 4.19.3 (b) at page 122 is revised and to be read as under:

SR 4.19.3 (b) Each Assistant Loco Pilot shall have following items along with a handy bag-

(i) Tri-colour Torch
(ii) Red and Green Flag
(iii) Working Time Table

शुद्धिपत्र १५

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 15 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पन्द्रहें, संस्करण 2016

पृष्ठ सं. 134/135 पर सहायक नियम 4.19.3 मद सं. (ख) का संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 4.19.3(ख) प्रत्येक सहायक लोको पायलट हैन्डी बैग में निम्न सामान अपने कार्य के समय अपने पास रखेंगा–

(i) ट्राई–कलर टार्च
(ii) डंडे पर लगी लाल और हरी झंडी।
(iii) कार्य संचालन समय सारणी

Ref:(Rly. Board's letter No. 2010/Safety (A&R)/19/18 dated 05.07.2018)

Date: 06.07.2017.

(Manoj Seth)
PCOM/WCR
6/7/18

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

IMG-20181102-WA0006.jpg

शुद्धि पत्र-१६

Amendment Slip No. 16 to the WCR/G&SR 2016 (English)

(1) SR 3.78.3 is being amended on page 88 to 89 and to be read as under:

SR 3.78.3(a) Every newly appointed Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard or new to the section should be given 3 trips (up and down direction separately) for learning road out of which one must be by night to familiarize himself with the section (s) on which he is rostered for duty. On ghat section and automatic territories minimum 6 trips of road learning shall be provided in both the directions. If more than one line is available in a section, at least one trip road learning in each line shall be provided.

(b) On promotion to or officiating as LP (Goods) road learning as prescribed in SR 3.78.3(a) has to be provided to Loco Pilot to understand train dynamics.

(c) If Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard has not operated on a section for over 3 months, he should be given road learning trip/s as per the schedule given below:

Duration of absence	No. of trips	No. of trips on Ghat Section and Automatic territories
1) 3 to 6 months	One trip	Three trips
2) 6 months to 2 years	Two trips	Three trips
3) Over 2 years	Three trips	Six trips
4) In newly Commissioned IBS in section	One trip may be provided.	One trip may be provided.

(d) Any additional trip/s considered necessary should be provided with the approval of the controlling branch officers of the Division.

(e) The scale of the trips provided as above would apply to all systems of working.

(f) A register should be maintained at the crew booking point. A Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard should record in the register 15 days in advance that he is lapsing road learning in a section. Also, the base depot should keep a record of the date of the last trip performed by a Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard on different sections and update it every first of the month. On the basis of these records, depot in-charge should book Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard for road learning on a section where it is required.

(g) The record of Road learning may also be kept in Crew Management system.

(h) Learning Road rules for Ghat section and Automatic block system will apply for the portion of section /station falling in respective Ghat Section/Automatic Block System only.

(i) After having road learning, Loco Pilots/Guards gives in writing to depot incharge that they are conversant with section in which they are required to work and this will confirm that they are conversant with both the directions of traffic and all the stations/yards/sidings enroute.

(Rly. Bd's letter no. 2017/Safety(DM)/7/25/Pt.4 dated: 03.07.2018)
(Rly. Bd's letter no. 2017/Safety(DM)/7/25/Pt.4 dated: 22.010.2018)

(2) New SR 3.78.5 inserted vide Amendment Slip No. 02 below SR 3.78.4 is being deleted with immediate effect.

Dated: .11.2018

MKseth
(Manoj Seth)
PCOM/WCR
2/11/18

सादर
सभी LP/CTLC/CLI
को प्रति भेजें/ 11/10..18

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 17 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR 16.03.1 at page 333 as was revised vide Amendment slip no. 08, is further revised and the following is substituted.

SR 16.03.1. Gate Working Instructions:-

(a) Detailed Gate Working Instructions for all type of the gates shall be prepared including the normal position of the gate. The Gate Working Instructions for all traffic gates and the engineering gates provided with telephone shall be incorporated in the SWR of the station.

(b) All the gate working instructions should be signed by Sr. DOM, Sr. DEN and Sr. DSTE. In case there is no Sr. DEN incharge of the section, DEN incharge of section shall sign the Gate working instructions.

(c) The gate working instructions shall be prepared in Hindi/Engilsh languages and vernacular languages. The rules regarding validity & renewal will be the same as prescribed in SWR.

Date:31 .12.2018

शुद्धिपत्र -१७

MKsdZ
(Manoj Seth)
PCOM/WCR 31.12.18

संशोधन पर्ची सं. 17 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 366 पर उल्लिखित वर्तमान स.नि. 16.03.1 को संशोधन पर्ची सं. 08 में संशोधित किया गया था उसे पुनः संशोधित किया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है।

स.नि.16.03.1 फाटक संचालन संबंधी अनुदेश–

(क) सभी प्रकार के फाटकों के संचालन जिसमें फाटक की सामान्य स्थिति भी शामिल है, उनके विस्तृत अनुदेश तैयार किए जाएं। सभी यातायात व इंजीनिरियरिंग फाटक जिसमें टेलीफोन लगे हो, के संचालन अनुदेश स्टेशन के स्टे. सं.नि. में शामिल किए जाएं।

(ख) सभी फाटक संचालन अनुदेशों पर वरि.मं.परि.प्र., वरि.मं.इंजी. तथा वरि.मं.सि. एवं दू.सं.इंजी.हस्ताक्षर करेंगे। यदि खंड में वरि.मं.इंजी. प्रभारी नहीं हैं, तो खंड के म.इंजी. प्रभारी गेट संचालन अनुदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ग) फाटक संचालन के अनुदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएं। वैधता व नवीकरण संबंधी नियम स्टे. संचालन नियम के समान ही रहेंगें।

दिनांक 31.12.2018

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
31/12/18

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

शुद्धिपत्र -१८

संशोधन पर्ची सं. 18 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ 03 में सा.नि. 1.02 (31) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:–

(31) "मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट" से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर 'सी' वर्ग का ऐसा स्टेशन अभिप्रेत है, जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप में पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है;

[2] पृष्ठ 04 में सा.नि. 1.02 (32) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:–

(32) "मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग" से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर एक मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट द्वारा किसी लम्बे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटकर उन्हें अलग–अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली व्यवस्था अभिप्रेत है;"

[3] पृष्ठ 53 में सा.नि. 3.40(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

3.40 होम सिगनल 'ऑफ' करने की शर्तें :–

(1) जब गाड़ी अंतिम स्टेशन से भिन्न और किसी निकट (होम) सिग्नल की ओर आ रही है, तो सिगनल को, गाड़ी निकट (होम) सिगनल के बाहर खड़ी करने से पहले तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा, जब तक कि–
   (क) दोहरी (डबल) लाइन पर, प्रस्थान (स्टार्टर) सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है; या
   (ख) इकहरी (सिंग्नल) लाइन पर, उन्मुख (ट्रेलिंग) कांटों से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है, या गाड़ी के रूकने के नियत स्थान से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है

[4] पृष्ठ 54 में सा.नि. 3.42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:–

3.42 अंतिम रोक (लास्ट स्टॉप) सिग्नल या मध्यवर्ती ब्लॉक रोक (स्टॉप) सिग्नल को 'ऑफ' करने की शर्तें–

(1) दोहरी लाइन पर, अंतिम स्टॉप सिगनल या मध्यवर्ती ब्लॉक स्टॉप सिगनल गाड़ी के लिए तब तक 'आफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि ब्लॉक स्टेशन से अग्रिम रूप से लाइन क्लियर न प्राप्त हो जाए।

(2) इकहरी लाइन पर–
   (क) गाड़ी के लिए अंतिम स्टॉप सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि ब्लॉक स्टेशन से अग्रिम रूप से लाइन क्लीयर न प्राप्त हो जाए.
   (ख) मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग के लिए–
      (i) पहले, यातायात की दिशा निर्धारित की जाएगी और फिर यातायात की निर्धारित दिशा के अनुसार ब्लॉक स्टेशन से अग्रिम रूप से लाइन क्लीयर कराई जाए;
      (ii) यातायात की दिशा निर्धारित करने के पश्चात् ही 'स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन' में गाड़ी संचलन की अनुमति दी जाएगी; और
      (iii) मध्यवर्ती ब्लॉक स्टॉप सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि ब्लॉक स्टेशन से अग्रिम रूप में लाइन क्लीयर न प्राप्त हो जाए और यातायात की दिशा निर्धारित नहीं की गई हो।

स्पष्टीकरण– इकहरी लाइन मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित किया जाता है. पहला सेक्शन जिसे 'स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन' कहा जाएगा और मध्वर्ती ब्लॉक सिगनल से आगे ब्लॉक स्टेशन के पहले स्टॉप सिगनल के बीच के सेक्शन को 'ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन' कहा जाएगा।

(संदर्भ: i) रेलवे बोर्ड पत्र क्र. 2017/संरक्षा (ए एंड आर)/19/12 दिनांक 20.12.2018)
ii) भारत का गजट सा.का.नि. 1168(अ), क्र.सं. 861 दिनांक 05.12.2018)

दिनांक 03.01.2019

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 19 to the WCR/G&SR 2016 (English)

SR 3.47.1 at page 50 was inserted vide Amendment slip no. 14, is being deleted with immediate effect.

Date:19.01.2019

MKSeth
(Manoj Seth)
PCOM/WCR
19/1/19

शुद्धि पत्र १९

संशोधन पर्ची सं. 19 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

पृष्ठ सं. 55 पर उल्लिखित सहायक नियम 3.47.1 को संशोधन पर्ची सं. 14 के द्वारा जारी किया गया था। इस सहायक नियम 3.47.1 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

दिनांक 19.01.2019

MKSeth
(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
19/1/19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 20 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR 3.78.3 (c) at page 88 to 89 issued vide Amendment slip no. 16 is to be revised and to be read as under:-

SR 3.78.3 (1)(c) If Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard has not operated on a section for over 3 months, he should be given road learning trip/s as per the schedule given below:

Duration of absence	No. of trips	No. of trips on Ghat Section and Automatic territories
1) 3 to 6 months	One trip	Three trips
2) 6 months to 2 years	Two trips	Three trips
3) Over 2 years	Three trips	Six trips

Note: In case of commissioning of new IBS, Road learning trip shall not be required.

(Rly. Bd's letter no. 2017/Safety(DM)/7/25/Pt.4 dated: 13.02.2019)

[2] SR 3.26.1 (2) at page 39 is revised and to be read as under:-

SR 3.26.1 (2) In case of commissioning of a new signal including IBS and Gate signal or shifting of existing signal, Caution order should be issued drawing the attention of the Loco Pilots for a period 90 days with specific location of new signals kilometre wise and orientation wise (i.e LHS or RHS) and entry to that effect be made by the Lobby Supervisor in the register/order book/Computer kept in the crew booking lobbies.

(Rly. Bd's letter no. 2017/Safety(DM)/7/25/Pt.4 dated: 13.02.2019)

Date: .02.2019

शुद्धि पत्र-२०

(Manoj Seth)
PCOM/WCR
22/2/19

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 20 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 99 से 100 पर संशोधन पर्ची सं. 16 द्वारा जारी सहायक नियम 3.78.3 के (ग) को संशोधित किया गया है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स. नि. 3.78.3 (ग) यदि लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/गार्ड ने किसी सेक्शन पर 3 माह से अधिक समय के लिए परिचालन कार्य न किया हो तो उसे नीचे बताये गये अनुसूची के अनुसार (मार्ग की जानकारी हेतु ट्रिप) दिये जाने चाहिए:–

अनुपस्थिति की अवधि	ट्रिपो की संख्या	घाट सेक्शन एवं स्वचलित क्षेत्रों ट्रिपों की संख्या
1) 3 से 6 माह	एक ट्रिप	तीन ट्रिप
2) 6 माह से 2 वर्ष	दो ट्रिप	तीन ट्रिप
3) 2 वर्ष से अधिक	तीन ट्रिप	छह ट्रिप

नोट: नये आईबीएस सिगनल को लगाये जाने पर रोड लर्निंग ट्रिप की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2017/सेफ्टी(डीएम)/7/25/पीटी.4 दिनांक 13.02.2019)

(2) पृष्ठ सं. 43 पर सहायक नियम 3.26.1 के (2) को संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स. नि. 3.26.1 (2) नये सिगनल जिसमें आई.बी.एस और गेट सिगनल भी सम्मिलित है को लगाने अथवा वर्तमान सिगनल का स्थान परिवर्तन के मामले में लोको पायलटों मे ध्यानाकर्षण हेतु 90 दिनों की अवधि के लिये सतर्कता आदेश जिसमें नये सिगनलों की विनिर्दिष्ट अवस्थिति किलोमीटर वार तथा स्थिति वार (अर्थात RHS दाहिने हाथ की ओर अथवा LHS बांए हाथ की ओर) सहित जारी करना चाहिए तथा इसे लागू करने संबंधी प्रविष्टि लाबी पर्यवेक्षक द्वारा रजिस्टर/ऑर्डर बुक/क्रू बुकिंग लाबी में रखे कम्प्यूटर में करनी चाहिए।

(रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2017/सेफ्टी(डीएम)/7/25/पीटी.4 दिनांक 13.02.2019)

दिनांक .02.2019

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 21 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 369/370 पर वर्तमान सहायक नियम 16.03.6 (ङ) के नीचे नया स.नि. 16.03.6(च) जोडा जाये एवं वर्तमान स.नि. 16.03.6(च) को संशोधित और पुनः संख्याकित किया जाता है तथा इसे स.नि. 16.03.6(छ) के रूप में निम्नानुसार पुनःस्थापित किया जाए–

स.नि. 16.03.6(च) सड़क यातायात फाटक से गुजरने के बाद, गेटमेन फाटक को सड़क यातायात के लिए तुरंत बंद और तालित कर देगा तथा उसके बाद वह फाटक के दोनों साइड लगाए गए खतरा सिगनल को हटा लेगा।

टिप्पणी– गेटमेन द्वारा सभी नॉन–इंटरलॉक्ड समपार फाटकों की सामान्य स्थिति का कड़ाई से पालन किया जाए।

स.नि. 16.03.6(छ) स्टेशन मास्टर और फाटक वाला फाटक रजिस्टर मे सभी गाड़ियों के प्राइवेट नंबर का रिकार्ड रखेंगे जिसमें निम्नलिखित कालम हो–

(i) स्टेशन मास्टर के लिए

दिनांक	गाड़ी का विवरण	समय जब स्टे. मा. ने फाटक बन्द करने के बारे में पूछा	गेटमैन द्वारा दिया गया प्राईवेट नम्बर		टिप्पणी यदि हो
			प्राईवेट नम्बर	समय	

(ii) गेटमैन के लिए

दिनांक	गाड़ी का विवरण	समय जब स्टे. मा. ने फाटक बन्द करने के बारे में पूछा	दिया गया प्राइवेट नम्बर		समय जब गाड़ी ने फाटक पार किया	टिप्पणी यदि हो
			प्राईवेट नम्बर	समय		

टिप्पणी:– गेटमैन सडक यातायात निकालने हेतु गेट खोलने के समय एंव सडक यातायात गुजर जाने के पश्चात् गेट बन्द करने के समय से संबधित पृविष्टि टिप्पणी कॉलम में करेगा।

शुद्धि पत्र-२१

दिनांक: . 03.2019

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 22 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

पृष्ठ सं. 186 पर सहायक नियम 4.62.1 के (ङ) को संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 4.62.1 (ङ) (i) संबधित कार्यभारी (इंजीनियरिंग/यांत्रिक/विद्युत) पर्यवेक्षक ए.आर.टी., ए.आर.एम.ई. जिसमें सम्मिलित स्पार्ट कम ए. आर.एम.वी. अथवा अन्य कोई स्वाचलित वाहन / मशीन , टावर वैगन , विभागीय रोलिंग स्टाक (कोंचिग स्टाक जैसे कैंपिंग कोच, मोबाइल प्रशिक्षण कार, ओ.एच.ई.वायरिंग कार इत्यादि एंव सभी अन्य विभागीय वैगन जो सामग्री गाडी, गिट्टी गाडी/ बॉबी गाडियां /कार्यरत विद्युतीकरण गाडी/रेल पीसने वाली गाडियों /टीआरटी/पीक्यूआरएस(मशीन को छोडकर) में संबधित कार्यभारी (इंजीनियरिंग/यांत्रिक/विद्युत) पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेक/वाहन/की कैरेज एण्ड वैगन कर्मचारियों द्वारा नामित परीक्षण स्थल या नजदीकी उपलब्ध सुविधाजनक गाडी परिक्षण स्थल पर 30 दिनों में एक बार जांच की गई है। गाड़ी/वाहन/मशीन अथवा वाहन को आगे जाने की अनुमति देने से पहले उसके संबधित कार्यभारी (इंजीनियरिंग/यांत्रिक/विद्युत) पर्यवेक्षक के पास कैरेज एण्ड वैगन कर्मचारियों द्वारा जारी ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैंपिंग कोच का पी.ओ.एच.और आइ.ओ.एच.क्रमशः चार वर्ष एंव दो वर्ष के अन्तराल में होगा। इंजीनियरिंग अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रेक मशीन (CSM/T-Express/WST/BCM/FRM/UNIMAT/BRM/DGS/MPT/T-28/UTV/DOUMATIC/TRT/ PQRS/SBCM/RGM/DTS/ RBMV etc.) के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा। विभागीय कैंपिंग कोच को नामित परीक्षण स्थल या नजदीकी उपलब्ध सुविधाजनक गाडी परिक्षण स्थल पर 30 दिनों की समाप्ती से पहले सवारी गाडी से लाया जा सकता है।

शुद्धि पत्र_२२

टिप्पणी–: टॉवर वैगन को जारी की गई बीपीसी की वैधता 30 दिन या 4500 किलोमीटर जो भी पहले हो ,होगी।

(ii) जनशक्ति की उपलब्धता के अधीन पी.सी.एम.ई. एक बार फ्लाइंग गैंग के माध्यम से आर.ई. ट्रेनों के बीपीसी के पुनर्वेधीकरण के लिये अनुमति दे सकता है। इस प्रकार के पुनर्वेधीकरण के लिए रेलवे द्वारा अपने कार्यस्थल पर नामित फ्लाइंग गैंग द्वारा आर.ई.ट्रेनों की जॉच की आवश्यकता होगी और इस तरह के पुनर्वेधीकरण को अधिकतम समयअवधि 30 दिनों के लिए किया जाएगा। यह हमेशा सुनिश्चित किया जायगा कि आर.ई. ट्रेनों को प्रत्येक 60 दिनों में उचित परिक्षण के लिए नामित परीक्षण डिपो को लाया जाए। फ्लाइंग गैंग एस.एस.ई.(मैके.) द्वारा बीपीसी के इस तरह के पुनर्वेधीकरण से पहले परीक्षण के दौरान, किसी भी खराबी का पता चलने पर, जो गाडी की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, सुधार कार्य के लिए नामित TXR डिपो में वापस लाया जाएगा। बीपीसी के पुनर्वेधीकरण की उपरोक्त व्यवस्था केवल तभी लागू होगी जब कार्यरत RE गाडियॉ किसी परियोजना के अंतर्गत जोन/मंडल में चल रही हों। यदि चिनहित गाडियों को अन्य जोनल रेलवे में काम करने के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है, तो नामित डिपों पर इस गाडी का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iii) नामित सी.एण्ड डब्लू पर्यवेक्षक /मैकेनिकल सुपरवाइजर द्वारा आवधिक निरीक्षण के बावजूद रोलिंग स्टॉक के प्रभारी/संरक्षक संचालन शुरू करने से पहले रोलिंग स्टॉक का निरीक्षण करेगें। यदि वह रोलिंग स्टॉक में संरचनात्मक या गियर सुरक्षा के संबध में किसी भी असामान्यता को संदिग्ध पाता है तो वह तुरन्त पिट लाइन पर सी.एण्ड डब्लू परिक्षण के लिए रोलिंग स्टॉक की मॉग करने की व्यवस्था करेगा।

स्टेशन मास्टर विभागीय ट्रेन/किसी भी विभागीय रोलिंग स्टॉक को प्रस्थान करने की अनुमति तब तक नही देगा जब तक कि प्रभारी पर्यवेक्षक समान्य नियम 4.31 और समान्य नियम 4.35 के अनुसार नामित मैकेनिकल पर्यवेक्षक द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं करता। मुख्य नियंत्रक यातायात/इंजी.ब्लास्ट नियंत्रक को ट्रैक मशीनों/विभागीय रोलिंग स्टाक के जॉच का विवरण अभिरक्षा में रखना चाहिए और वैधता समाप्त होने के 7 दिनों से पहले लिखित में संबधित विभाग को याद दिलाना चाहिए।

04.06.2019

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

[1] SR 3.51.1(b)at page 54 is revised and to be read as under:-

SR 3.51.1 (b) Procedure of working of trains during planned works and failure of Electrically operated points of the cross over:- On receipt of information from the operating staff about failure of the point, S&T staff will try to ascertain the nature of fault and put right the failure. If the S&T staff anticipates that rectification of the failure is likely to take a long time(beyond one hour) or during planned work viz. Non-Interlocked working on account of yard remodeling, accidents, unusuals etc., they will inform the Operating staff in writing on a disconnection memo. Action should be initiated as under:-

(i) On receipt of such written information from the S&T staff on the disconnection memo, the SM will ensure that the both ends of the affected points of the cross over are correctly set, clamped and padlocked in NORMAL position. The SM shall, under no circumstances remove the clamp in the above setting, unless and until he receives the memo from the S&T staff that temporary modifications have been removed, and the conditions in Para (vii) below are complied with.

(ii) After so clamping and padlocking the point, the SM shall advise the S&T staff in writing, stating that:-

शुद्धि पत्र-२३

"Single ended point/both ends of crossover point No._____ have been clamped and padlocked in the NORMAL position and the necessary temporary modifications to the installations may please be made".

The S&T staff of not below the rank of a SE (Sig), on receipt of such a written advice from the SM, will carry out temporary modifications to the installations so that point steady NORMAL indication is available on the panel, by making NORMAL detection available and restricting the clearance of signals reading over the said point (including overlap) to yellow aspect only.

(iii) After carrying out the temporary modifications, the S&T staff shall advise the SM in writing that Temporary modifications with respect to Point No... have been carried out" and clearance of __signal Nos.__& __have been restricted to yellow aspect only.

(iv) On receipt of the advice, as above, the SM will arrange for issue of Caution order to the trains for observing 15 KMPH on the route of concerned signals. This may require advising the SM of the adjacent stations.

(v) The SM shall arrange for posting of suitable operating staff, not below the rank of a Guard near the affected point for the purpose of monitoring the conditions of clamps and the point after every movement. The staff deputed to monitor the point should be equipped with telephone communication with the SM, HS lamps and flags (red and green) LED based flashing hand signal lamp, detonators and shall arrange for protection of trains in case the condition of affected point or clamps on it warrants the same. In such a condition, he shall also advise the SM on phone to restore the concerned signal to ON position and refrain from taking them to 'Off' for any subsequent move till the condition of the points and clamps is set right.

(vi) After the defect is rectified, the SE((Sig) in consultation with the SM will remove the temporary modifications done and will give a memo to the SM stating "work with respect to Point No./Crossover No._____ has been completed and temporary modifications have been removed and the point is ready for testing"

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Before acknowledging the memo, the SM will ensure that none of the route sections over the affected point is set and the signals controlling the movement over it are at "ON" position and the tracks are clear. This is for ensuring that no train passes over the affected point during the testing.

(vii) After the point is fully tested, the SE(Sig) will give reconnection memo to the SM indicating that "all the temporary modifications to the installations have been removed and the installation is made fully normal with respect to Point No.______".

(viii) The SM before accepting the re-connection memo shall ensure normal working over the affected point then acknowledge the same and advise the Controller.

Date. 27.04.2019

शुद्धि पत्र-२३

(Manoj Seth)
PCOM/WCR
27/4/19

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्वि पत्र सं. 24 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

पृष्ठ सं. 59 पर सहायक नियम 3.51.1 के (ख) को संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 3.51.1 (ख) क्रॉस ओवर के बिजली द्वारा संचालित काँटों के खराब होने पर गाड़ियों की संचालन विधि नियोजित कार्यो के दौरान गाडियों के कार्य करने की प्रकिया :– नियोजित कार्यो के दौरान यार्ड रिमॉडलिंग एक्शन के आधार पर नॉन–इन्टरलॉक कार्य निम्नानुसार प्रारम्भ किया जाना चाहिए:–

(i) परिचालन कार्यभारी प्रभारी. कांटों को सामान्य अवस्था में ही प्रकार से सेट करेंगे और तब क्रॉस ओवर के दोनों सिरों को सामान्य अवस्था में क्लेम्प और पैडलॉक सुनिश्चित करेंगे। परिचालन कार्यभारी प्रभारी किसी भी परिस्थिति में सामान्य अवस्था में सेट किये गये क्लेम्प को नहीं हटायेंगे जब तक कि संकेत एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारी द्वारा यह मेमों न प्राप्त कर ले कि अस्थायी परिवर्तन पैरा (vii) के शर्तो को पूरा करने के बाद हटा लिये गये हैं।

(ii) परिचालन कार्यभारी प्रभारी कांटों को इस प्रकार क्लेम्प और पैडलॉक करने के पश्चात् लिखित में सिग. एवं दू.सं. विभाग के कर्मचारियों को सूचित करेंगे :–

"क्रॉस ओवर क्र............... के एक तरफ के कांटे या दोनों ओर के कांटों को सामान्य स्थिति में क्लैम्प एवं पैंडलॉक पर दिया गया है। आप कृपया उपकरणों में अस्थायी परिवर्तन करें।"

सक्षम संकेत एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी, इस प्रकार का लिखित मेमों परिचालन कार्यभारी प्रभारी से प्राप्त करने के बाद उपकरण में इस प्रकार अस्थाई परिवर्तन करेंगे कि कांटे पैनल पर सामान्य और स्थिर संकेत दें। इसके लिए कांटों से संबंधित सिग्नल के क्लिरेंस को प्रतिबंधित करेंगे जो सिर्फ पीला संकेत देगा और साथ ही साथ ओवर लैप सहित उसकी पहचान उपलब्ध करेंगे।

शुद्धि पत्र-२४

(iii) सिग. एवं दू.सं. विभाग के कर्मचारी अस्थाई परिवर्तन करने के बाद परिचालन कार्यभारी प्रभारी को लिखित में सूचित करेंगे कि कांटा नं...........को ठीक दिया गया है और सिग्नल नं. .... के क्लियरेंस अस्थायी परिवर्तनों द्वारा पीले संकेत पर प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।

(iv) इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद, स्टे. मा. संबंधित मार्ग के सिग्नलों के लिए गाड़ियों को 15 कि.मी.प्र.घं. का सतर्कता आदेश पालन करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। इस बात की सूचना बाजू वाले स्टे.के.स्टे.मा. को देना आवश्यक है।

(v) परिचालन कार्यभारी प्रभारी उपयुक्त परिचालन कर्मचारी को प्रभावित कांटे के पास नियुक्त करेंगे जो कि गार्ड के पद से नीचे का न हो, वह कांटों और क्लैम्प की स्थिति का प्रत्येक गाड़ी के जाने के बाद निरीक्षण करेंगें, वे कर्मचारी जिन्हें कांटों के निरीक्षण के लिये लगाया जाये उनके पास परिचालन कार्यभारी प्रभारी से संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, हाथ बत्ती (लाल और हरी) झंडी, एल.ई.डी आधारित फ्लेशिंग हाथ सिगनल लेम्प, पटाखें हों ताकि प्रभावित प्वाइंट देखकर (क्लैम्प लगे होने की दशा में) यदि आवश्यकता हो तो वह गाड़ियों का बचाव कर सकें। ऐसी अवस्था में वह परिचालन कार्यभारी प्रभारी को फोन द्वारा संबंधित सिग्नल को ऑन स्थिति में करने को कहेगा और जब तक सही कांटे ओर क्लैम्प नहीं लग जाते तब तक किसी संचालन के लिये सिगनल को ऑफ नहीं होने देगा।

(vi) नियोजित कार्य पूर्ण होने के बाद सक्षम संकेत एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी परिचालन कार्यभारी प्रभारी से संबंध स्थापित करके अस्थायी परिवर्तनों को हटा देगा और परिचालन कार्यभारी प्रभारी को यह संदेश लिखित रूप में देगा कि "कांटा नं./क्रॉस ओवर नं. .... का कार्य पूरा हो गया है और अस्थायी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं तथा कांटे परीक्षण के लिए तैयार हैं।

परिचालन कार्यभारी प्रभारी मेमों पर अभिस्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित कांटे सेट नहीं है उन्हें नियंत्रित करने वाले सिगनल ऑन स्थिति में है और रेल पथ खाली है। यह सब सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा ताकि प्रभावित काँटों के परीक्षण् के समय उस पर कोई गाड़ी न गुजरे।

(vii) काँटों पूरी तरह जाँच करने के बाद सक्षम संकेत एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी लिखित घोषणा करते हुए रीकनेक्शन मेमों देगा कि उपकरणों से संबंधित सभी अस्थाई परिवर्तन निकाल दिये गये हैं और उपकरण जो कांटा नं. ....से संबंधित हैं पूर्णतः सामान्य हैं।

(viii) परिचालन कार्यभारी प्रभारी रिकनेक्शन मेमों प्राप्त करने के बाद खण्ड नियंत्रक को सूचित करके प्रभावित काँटों पर सामान्य संचालन शुरू करेगा।

दिनांक 04.06.2019

(मनोज सेठ) 6/1/19

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

पमरे/जबलपर

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 25 to the WCR/G&SR 2016 (English)

[1] SR 16.04.2 at page 337 is revised and to be read as under:-

SR 16.04.2 Action by gateman in case of any unusual occurrence on train:- The Gateman shall watch all passing trains and keep a sharp look out for any unusual condition like hot axle, loose /hanging part of any vehicle, fire in train, load shifted, spring broken etc., In case he observes anything unusual with the passing train, he shall immediately take following action:-

(a) Warn the Loco Pilot/guard of the passing train by showing danger hand signal.

(b) Simultaneously try to draw the attention of the Loco Pilot/guard by whistling continuously, shouting, gesticulating, throwing ballast on the brake van or by any other means.

(c) In case of train parting, he shall not show stop hand signal but take action in accordance with GR 16.08 and SR thereunder.

(d) If train crew (Loco Pilot/Assistant Loco Pilot/Guard) fail to take notice or stop the train upon the Gateman's signal, Gateman shall immediately inform the Station Master provided with telephone connections to stop the train at his station and the said train shall be examined.

Date: 11 .09.2019

MKSeth
(Manoj Seth)
PCOM/WCR

संशोधित पर्ची सं. 25 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 370 पर सहायक नियम 16.04.2 को संशोधन किया जाता है तथा जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

स.नि. 16.04.2 गाड़ी मे असमान्य स्थिति उत्पन्न होने पर फाटक वाले द्वारा की जाने वाली कार्यवाही– फाटक से गुजरने वाली गाड़ियों पर फाटकवाला ध्यान से नज़र रखेगा कि उनमे हाट एक्सल, किसी डिब्बे का ढीला या झूलता हुआ हिस्सा, आग, लोड शिफ्टिंग, स्प्रिंग टूटना आदि किसी प्रकार की असमान्य बात तो नही है। यदि वह गुजरती गाड़ी मे कोई असमान्य स्थिति देखे तो वह तत्काल निम्नलिखित कार्यवाही करेगा–

(क) लोको पायलट या गार्ड को खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा,

(ख) लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, हाव भाव से, ब्रेकवान की तरफ गिट्टी फेंककर या अन्य तरीके से गार्ड/लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा।

(ग) यदि गाड़ी विभाजित हो गई हो तो वह रोक हाथ सिग्नल नहीं दिखायेगा लेकिन सा.नि.16-08 तथा उसके सहा. नि. के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि ट्रेन चालक दल (लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/गार्ड) गेटमैन के द्वारा दिये गये उपरोक्त संकेतों को प्राप्त करने या गाड़ी को रोकने में विफल रहते है तो गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर को दिये गये टेलीफोन से उक्त गाड़ी को रोकने के लिए सूचित करेगा एवं उक्त गाड़ी का परीक्षण किया जायेगा।

दिनांक 11 -09-2019

11/9/19
(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

शुद्धी पत्र २५

Scanned with CamScanner

संशोधित शुद्धि पत्र सं. 26 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

पृष्ठ सं. 188 पर वर्तमान सहायक नियम 4.62.3 के नीचे नया स.नि. 4.62.4 जोडकर निम्नानुसार पढ़ा जाए-

स.नि. 4.62.4 ओएचई कार्यों से संबंधित दो कार्यशील गाड़ियों का एक ही खंड में कार्य करना: जब अलग-अलग स्थान पर एक ही खंड में काम करने के लिए दो कार्यशील गाड़ियों की आवश्यकता होती है, तो ट्रेन संचालन के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी:

1. दोनों कार्यशील ट्रेनों को एक साथ जोड़ा जाएगा और वे ब्लॉक सेक्शन को एक ट्रेन के रूप में प्रवेश और क्लीयर करेंगे। दोनों कार्यशील ट्रेनें एक ही ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक खंड में प्रवेश करेंगी और एक ही स्टेशन पर क्लीयर होंगी यानी दोनों ट्रेनें ब्लॉक खंड के स्टेशन के दोनों ओर क्लीयर की जा सकती हैं, लेकिन दोनों ट्रेनें एक ही ब्लॉक स्टेशन पर क्लीयर की जाएंगी। दोनों छोर के दो ब्लॉक स्टेशनों पर अलग-अलग दो कार्यशील ट्रेनों द्वारा ब्लॉक खंड को क्लीयर करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
2. जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होगी उस स्टेशन के नाम के बारे में जानकारी और वह स्टेशन जहाँ पर ट्रेन क्लीयर होगी और किलोमीटर जहाँ पर काम करने वाली ट्रेनें काम करेगी, को मॉग पत्र (रिक्वीजीशन मैमो) में दिया जाएगा। मैमो की प्रति गाड़ियों को काम करने के लिए प्रतिनियुक्त गार्डों को प्रदान की जाएगी।
3. सेक्शन को ब्लॉक करना और सेक्शन को क्लीयर करना और सेफ मैमो जारी करना TRD सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा। दोनों कार्यशील ट्रेनें एक ही प्रभारी के अंतर्गत काम करेंगी। प्रभारी ब्लॉक खंड में कार्यरत ट्रेनों को अलग करने और जोड़ने का निर्देश देंगे एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
4. ट्रेन का गठन ऐसा होना चाहिए कि मोटिव यूनिट ट्रेन के दोनों छोर पर हो। ब्लॉक खंड में ट्रेनों को अलग-अलग काम करने के लिए क्रू के दो सेट बुक किये जायेंगे।
5. ट्रेनों को ब्लॉक सेक्शन में अलग-अलग किया जाएगा और काम के दौरान दोनो कार्यशील ट्रेनों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाएगी। LV बोर्ड को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने और स्टेशन में क्लीयर करते समय अंतिम वाहन पर रखा जाएगा।
6. कार्यशील ट्रेन की सुरक्षा:- जब ब्लॉक खंड में स्टेशनों के बीच कार्यशील ट्रेनें काम कर रही हों, तो कार्य करने वाले ट्रेन के आधिकारिक प्रभारी पर्याप्त संख्या में स्थायी सक्षम टीआरडी कर्मचारियों को ट्रेन की सुरक्षा के लिए निम्नानुसार नियुक्त करेंगे:
   गाड़ी का बचाव करने के लिए नियुक्त किया गया/किए गए व्यक्ति दोहरी लाइन पर गाड़ी के पीछे की ओर इकहरी लाइन पर सामने और पीछे दोनों ओर बड़ी लाइन पर 600 मीटर जाकर रेलपथ के आर-पार एक जाम झंडी लगायेंगे या कटिंग या अन्य अवरोध होने पर 600 मीटर से कम नहीं पर इस प्रकार जाम झंडी लगाएंगे कि आने वाली गाडी के लोको पायलट को जाम झंडी साफ-साफ दिखायी दे। गाड़ी के बचाव के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 2 पटाखे एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर जाम झंडी के समीप भी लगाने चाहिए और जब आवश्यक हो तो गाडी के आगे पीछे चलने के साथ-साथ जाम झंडी एवं पटाखों का भी स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए। यदि गाड़ी स्टेशन यार्डों में ऐसी लाइन पर खड़ी हो जिसका सिग्नलों द्वारा बचाव न किया जा रहा हो तो गाड़ी के दोनों सिरों पर जाम झंडियां लगानी चाहिए। यदि जाम झंडियां उपलब्ध न हो तो आपात स्थिति में गाड़ी का बचाव करने के लिए हाथ सिग्नलों के साथ कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए।
7. इन ट्रेनों को ले जाते समय दोनों वर्किंग ट्रेनों के वर्किंग स्टाफ और इंजीनियर एक दूसरे से संवाद करेंगे।
8. काम पूरा होने के बाद, यदि दोनों कार्यशील ट्रेनों को जोडा नहीं जा सकता है, तो पीछे का हिस्सा सर्तकता के साथ 30 कि.मी.प्र.घं. की गति से आगे बढ़ेगा, दोनों गाडियों के मध्य 1000 मीटर की दूरी बनाये रखते हुये। यदि अगला भाग रूक जाता है, तो अगले भाग का गार्ड पीछे की ओर ट्रेन को रोकने के लिए खतरे का संकेत देगा। ऐसे मामले में पहले भाग के अंतिम वाहन पर कोई LV बोर्ड नहीं लगाया जाएगा।
9. ट्रेन पहले स्टॉप सिग्नल (गलत दिशा पर अंतिम स्टॉप सिग्नल या सही दिशा का पहला स्टॉप सिग्नल) पर रुकेगी और स्टेशन मास्टर सिग्नल/पायलटिंग कर गाडी को लेने की व्यवस्था करेगा।
10. जब दोनों ट्रेनों को जोडा नहीं जा सकता है, तो पहली गाडी को सिग्नल/ पायलेटिंग पर लिया दिया जाएगा/बाद वाली गाडी प्रथम सिगनल पर प्रतिक्षा करेगी। पहली ट्रेन के प्रवेश के बाद, स्टेशन मास्टर सिग्नल पर या पायलट द्वारा, जैसा भी मामला हो, दूसरी ट्रेन को लेने की व्यवस्था करेगा।
11. कार्य के बाद जब एक कनेक्टेड ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, तो टीआरडी प्रभारी स्टेशन मास्टर को मैमो देगा, जिसमें दर्ज होना चाहिए कि ब्लॉक सेक्शन में काम करने वाली ट्रेन का कोई भी हिस्सा नहीं बचा है और ब्लॉक सेक्शन ट्रेनों के चलने के लिए सुरक्षित है।

दिनांक 03..2020

(मनोज सेठ)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

शुद्धि पत्र २६

संशोधित पर्ची सं. 27 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

[1] पृष्ठ सं. 116 पर सहायक नियम 4.10.2 के नीचे नया सहायक नियम 4.10.3 जोड़ा गया है जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए–

सहायक नियम 4.10.3 निम्नलिखित परिस्थितियों के साथ नॉन–इंटरलॉक कार्य के समय ट्रेनों की गति 30 कि.मी. प्र.घं. तक बढाया जाना–

(i) कांटों को उपयुक्त क्लैम्प्स का उपयोग करके क्लैंप पैडलॉकिंग के साथ गति को 30 कि.मी.प्र.घं. तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) कोई अलग से अस्थायी पैनल की जरूरत नहीं है और केवल फी होम सिगनल दिया जाएगा।

(iii) कांटों की स्थिति को परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा एंव सम्मुख कांटों की सामान्य स्थिति का बचाव/संकेत (Detection of point) संबधित सिग्नल की उपयुक्त सर्किट वायरिंग के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) ट्रैक का भौतिक सत्यापन सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा भौतिक रूप से किया जाएगा।

(v) आवश्यक सुरक्षा निर्देशों को नॉन–इंटरलॉकिंग के लिए अस्थायी कार्यसंचालन निर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए, जो आवश्यक रूप से उपयुक्त इंफ्रास्ट्रचर समर्थन के साथ अनुमोदित विशेष निर्देश के तहत् 30 कि.मी.प्र.घं. में आवश्यक है।

नोट 1. उपरोक्त शर्तों को नॉन–इंटरलॉक कार्य शुरू करने से पहले मंडल परिपत्र नोटिस (DCN) और अस्थायी कार्य निर्देश (TWI) में शामिल किया जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

2. नॉन–इंटरलॉक कांटों की गति प्रतिबंध के लिए अन्य शर्तें सामान्य नियम 4.10.1 के अनुसार समान रहेंगी।

(Ref: i) Rly.Bd's Letter No 2020/Safety (A&R)/19/07 dated 18.03.2020.
ii) Gazette of India G.S.R. 168(E) No. 144 dated 13th March 2020.

दिनांक: 24..09.2020

(मुकुल जैन)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

शुद्धि पत्र 27

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 28 to the WCR/G&SR 2016 (English)

1] New SR 2.01.1 is added below GR 2.01 at page 7 and to be read as under:-

SR 2.01.1 The copy of Rules to be supplied by Railway administration under General Rule 2.01 may be hard copy or electronic copy of the document or relevant extracts thereof.

2] New SR 4.19.6 is added below SR 4.19.5 at page 124 and to be read as under:-

SR 4.19.6 Each Guard (with him/her or in Guard van) and Loco Pilot (with him/her or in Loco), while on duty with his/her train, shall have a copy (in hard or in electronic form) of these rules or relevant portions thereof, as supplied to him/her under Rule 2.01 and a copy (in hard or in electronic form) of the working time table and the all correction slips and appendices, if any, in force on that section of the railway over which the train is to run.

(Ref:) Rly.Bd's Letter No 2020/Safety(A&R)/19/12 dated 17.12.2020

3] Add Note at page 159 is below SR 4.42.3 and to be read as under:-

Note :- These rules does not apply to EMU/MEMU/DEMU/PARAKH However, Motorman /Loco pilot, will remain vigilant and take immediate necessary steps to stop the train on noticing danger hand signal.

Dated: 29.12.2020

29/12

(Mukul Jain)
PCOM/WCR

संशोधित पर्ची सं. 28 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016

1] पृष्ठ सं. 9 पर सामान्य नियम 2.01 के नीचे नया सहायक नियम 2.01.1 जोड़ा गया है जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए:—

स.नि. 2.01.1 सामान्य नियम 2.01 के तहत रेल प्रशासन द्वारा आपूर्ति करने वाले नियमों की प्रतिलिपि दस्तावेजों अथवा तत्संबंधी संगत उद्वरणों की हार्ड कॉपी अथवा इलैक्ट्रॉनिक/सॉफ्ट कॉपी के रूप में होनी चाहिए।

2] पृष्ठ सं. 137 पर सहायक नियम 4.19.5 के नीचे नया सहायक नियम 4.19.6 जोड़ा गया है जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए:—

स.नि. 4.19.6 प्रत्येक गार्ड के पास (स्वयं के साथ अथवा गार्ड वैन में) और लोको पायलट के पास (स्वयं के साथ अथवा लोको में), अपनी गाड़ी में ड्यूटी के समय नियम 2.01 के तहत उसे दिये गए नियमों अथवा इनके संगत भागों की एक प्रतिलिपि (हार्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) तथा रेलवे के उस खंड, जहां गाड़ी चलाई जानी है, पर लागू वर्किंग समय सारणी और सभी शुद्धि परचियों और परिशिष्ट, यदि कोई हो की प्रतिलिपि (हार्ड अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) होनी चाहिए।

(Ref:) Rly.Bd's Letter No 2020/Safety(A&R)/19/12 dated 17.12.2020

[3] पृष्ठ सं. 174 पर सहायक नियम 4.42.3 के नीचे नोट जोड़ा जाए जिसे निम्नवत् पढ़ा जाए:—

नोट:— ये नियम EMU/MEMU/DEMU/PARAKH पर लागू नहीं होते है। हालांकि, मोटरमैन/लोको पायलट, सतर्क रहेंगे और खतरे के संकेत पर ट्रेन को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएंगे।

दिनांक: 29.12.2020

29/12

(मुकुल जैन)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

शुद्धि पत्र 28

Scanned with CamScanner

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
General Manager's office
परिचालन विभाग, जबलपुर
Operations Deptt, Jabalpur

पमरे/जबल/टी-384/गजट

दिनांक 02.06.2021

वरि. मंडल परि. प्रबंधक
जबलपुर, भोपाल, कोटा.

विषयः- पमरे की सामान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधन पत्र(Amendment slip) सं. 29 अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण जारी करने के संबंध में।

<<<o>>>

पश्चिम मध्य रेल की समान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधित पत्र (Amendment slip) सं. 29 अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण की छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। इस संशोधन पत्र को मंडल स्तर पर सर्वसंबंधितों को वितरित करने की व्यवस्था करें एवं सुनिश्चित करें कि संबंधित कर्मचारियों के पास इसकी प्रति पहुँच गयी है।

संलग्नः 01 पेज।

(अजय शुक्ला)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/FOIS
कृते प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

प्रतिः
1. सचिव महाप्रबंधक, महाप्रबंधक महोदय के- सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग प्रमुख/मुख्यालय जबलपुर- आपके सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख कार्यकारी निदेशक/संरक्षा-/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली- आपके सादर सूचनार्थ।
4. मंडल रेल प्रबंधक, जबलपुर, भोपाल, कोटा, नागपुर, भुसावल, झाँसी- आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी जबलपुर, भोपाल, कोटा- सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र, भुसावल/उदयपुर- सूचनार्थ।
7. प्र.मु.परि.प्रबं./उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे-सादर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

Amendment Slip No. 29 to the WCR/G&SR 2016 (English)

(1) At page 18 in GR 3.07 for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) Under approved special instructions, a colour light Distant signal may be combined with the last Stop signal of a station in rear or with an Intermediate Block signal or with a Stop signal protecting a level crossing. When a colour light Distant signal is combined, (i) with the last Stop signal of a station in rear or (ii) with an Intermediate Block signal or (iii) with a stop signal protecting a level-crossing, arrangements shall be such that the signal shall not display a less restrictive aspect than the stop aspect till Line Clear has been obtained from the station ahead as in case of (i) and (ii) above and until the level-crossing gates have been closed and locked for the passage of trains as in case of (iii) above."

Ref: i) Rly. Board's letter No. 2020/Safety (A&R)/19/12 dated 10.03.2021]
ii) Gazette of India GSR 157 (E) S.No. 116 dated 08.03.2021)

Dated: 09 .04.2021

(Rajesh Pathak)
PCOM/WCR

संशोधित पत्र सं. 29 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण–2016

(1) पृष्ठ क. 22 में सा.नि. 3.07 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात –

"(7) अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन, रंगीन बत्ती दूरस्थ सिगनल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल के साथ अथवा मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल अथवा समपार की रक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ संयुक्त कर लगाया जा सकता है। रंगीन बत्ती दूरस्थ सिगनल को (i) पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल अथवा (ii) मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल अथवा (iii) समपार की रक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ संयुक्त कर लगाए जाने की अवस्था में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि यह सिगनल 'रोक' संकेत से अलग अन्य संकेत तब तक न दे सके, जब तक कि उपरोक्त (i) और (ii) के मामले में अगले स्टेशन से लाइन क्लियर न ले लिया जाये और उपरोक्त (iii) के मामले में, जब तक गाड़ियों के गुजरने के लिए समपार फाटक को बंद कर ताला न लगा दिया जाए।"

संदर्भ i) रेलवे बोर्ड पत्र क. 2020/सेफ्टी (ए एण्ड आर)/19/12 दिनांक 10.03.2021)
ii) भारत का गजट जी.एस.आर 157 (अ) क्र.सं. 116 दिनांक 08.03.2021)

दिनांक 09.04.2021

(राजेश पाठक)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे / जबलपुर

शुद्धि पत्र 29

Scanned with CamScanner

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
General Manager's office
परिचालन विभाग, जबलपुर
Operations Deptt, Jabalpur

क. पमरे/जबल/टी-732/G&SR

दिनांक 18.11.2021

वरि. मंडल परि. प्रबंधक
जबलपुर, भोपाल, कोटा.

विषयः- पमरे की सामान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधन पत्र(Amendment slip) **सं. 30 अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण जारी करने के संबंध में।**

<<<<>>>>

पश्चिम मध्य रेल की समान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधित पत्र (Amendment slip) सं. 30 **अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण** की छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। इस संशोधन पत्र को मंडल स्तर पर सर्वसंबंधितों को वितरित करने की व्यवस्था करें एवं सुनिश्चित करें कि संबंधित कर्मचारियों के पास इसकी प्रति पहुँच गयी है।

संलग्नः 01 पेज।

(अजय कुमार शुक्ला)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/FOIS
कृते प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

प्रतिः1. सचिव महाप्रबंधक, महाप्रबंधक महोदय के- सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग प्रमुख/मुख्यालय जबलुपर- आपके सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख कार्यकारी निदेशक/संरक्षा- रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली- आपके सादर सूचनार्थ।
4. मंडल रेल प्रबंधक, जबलपुर, भोपाल, कोटा, नागपुर, भुसावल, झाँसी- आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी जबलपुर, भोपाल, कोटा- सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द, भुसावल/उदयपुर- सूचनार्थ।
7. प्र.मु.परि.प्रबं./उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे-सादर सूचनार्थ।

शुद्धि पत्र 30

Scanned with CamScanner

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पश्चिम मध्य रेलवे, संस्करण–2016 की शुद्धि पत्र सं.–30

[1] सहायक नियम 1.03.1(क) पृष्ठ सं. 08 में निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये:–

स.नि. 1.03.1(क) जिस स्टेशन का संचालन 'ए','बी','सी' या 'डी' क्लास की शर्तों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता उसको ''स्पेशल'' क्लास स्टेशन कहते है।

दिनांक 18.11.2021

(राजेश पाठक)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल

शुद्धि पत्र 30

Scanned with CamScanner

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
General Manager's office
परिचालन विभाग, जबलपुर
Operations Deptt, Jabalpur

क. पमरे/जबल/टी–732/G&SR

दिनांक 29.11.2021

वरि. मंडल परि. प्रबंधक
जबलपुर, भोपाल, कोटा.

विषयः– पमरे की सामान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधन पत्र(Amendment slip) **सं. 31 अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण जारी करने के संबंध में।**

<<<<>>>>

पश्चिम मध्य रेल की समान्य एवं सहायक नियम संस्करण 2016 के संशोधित पत्र (Amendment slip) सं. 31 **अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण** की छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। इस संशोधन पत्र को मंडल स्तर पर सर्वसंबंधितों को वितरित करने की व्यवस्था करें एवं सुनिश्चित करें कि संबंधित कर्मचारियों के पास इसकी प्रति पहुॅच गयी है।

संलग्नः 01 पेज।

(ए.के.एस.यादव)
सहायक परिचालन प्रबंधक/ योजना
कृते प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पमरे/जबलपुर

प्रतिः1. सचिव महाप्रबंधक, महाप्रबंधक महोदय के– सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभाग प्रमुख/मुख्यालय जबलुपर– आपके सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख कार्यकारी निदेशक/संरक्षा– रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली– आपके सादर सूचनार्थ।
4. मंडल रेल प्रबंधक. जबलपुर, भोपाल, कोटा, नागपुर, भुसावल, झॉसी– आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी जबलपुर, भोपाल, कोटा– सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द, भुसावल/उदयपुर– सूचनार्थ।
7. प्र.मु.परि.प्रबं./उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे–सादर सूचनार्थ।

शुद्धि पत्र 31

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पश्चिम मध्य रेलवे, संस्करण–2016 की शुद्धि पत्र सं.–31
संशोधित पर्ची सं. 11 सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका, पमरे, संस्करण 2016 को संशोधन किया जाता है इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए–

[1] पृष्ठ सं. 75 पर सहायक नियम 3.61.2 (क) 'कोहरे के दौरान सतर्कता' में संशोधन किया जाता है तथा जिसे निम्नवत पढ़ा जाए–

स. नि. 3.61.2 'कोहरे के दौरान सतर्कता–

(क) (i) कोहरे के समय पूर्ण ब्लॉक पद्धति मे गति– लोको पायलट पूर्ण ब्लॉक पद्धति में 75 कि.मी.प्र.घं. की गति से अधिक नहीं करेंगें। कोहरे के घनत्व के हिसाब से लोको पायलट गाडी की गति को नियंत्रित करेगा।

(ii) कोहरे के समय स्वचलित ब्लॉक खंड में गति–सिगनल 'ग्रीन', होने पर आटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद गाडी की गति 75 किमीप्रघं से अधिक नहीं बढाई जाएगी। सिगनल 'डबल येलो', होने पर आटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद गाड़ी की गति 30 किमीप्रघं से अधिक नही बढाई जाएगी। 'येलो', सिगनल होने पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल पार करने के बाद लोको पायलट गाडी को प्रतिबंधित गति पर चलाएगा ताकि वह अगले स्टॉप सिगनल पर गाडी रोकने के लिए तैयार रहे।

नोटः यदि लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं है या डिवाइस रास्ते में विफल हो जाता है तो 75 किमीप्रघं की अधिकतम गति जैसा कि ऊपर बताया गया है का पालन न करते हुए लोको पायलट अपने विवेक के अनुसार 60 किलोमीप्रघं या उससे कम करेगा।

दिनांक 29.11.2021

(राजेश पाठक)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल

शुद्धि पत्र 31

Scanned with CamScanner

G&SR (2016 Edition)

Register of Correction Slip (HINDI)

Correction Slip			Date of receipt of Correction Slip	Correction Made	
No.	Item	Date		In Para	At Page
1	1	31.07.17	06.08.17	Revised SR 14.10.1	311
2	1	31.07.17	06.08.17	New SR 3.78.5 is added below SR 3.78.4	100
3	1(i)	31.07.17	06.08.17	Revised in SR 4.27.2(g) by COM,s instead of CSO	151
	1(ii)	31.07.17	06.08.17	Revised in SR 4.653(b) by Sr.DOM(G)/DOM(G) instead of Sr.DSO/DSO	190
	1(iii)	31.07.17	06.08.17	Revised in SR 15.18.2(2) by PCE or CTE or CBE or COM or CTPM or CSTE or CSTE or CEE instead of CE/CTE/CBE/COM / CSO/CSTE/CEE	344
	1(iv)	31.07.17	06.08.17	Revised in SR 15.18.2(13) by PCE or COM or DRM instead of CE/CSO/DRM	348
	1(v)	31.07.17	06.08.17	Revised in SR 15.18.2(18) by COM or DRM instead of CSO/DRM	356
	2	31.07.17	06.08.17	New SR 5.23.8 is to be added below SR 5.23.7	217
	3	31.07.17	06.08.17	Revised SR 3.64.5(c)	78, 364
4	1	31.07.17	10.08.17	New SR added 4.31.4 below SR 4.31.3	164
5	1	02.08.17	10.08.17	Revised SR 4.19.3	134
6	1	11.08.17	15.08.17	Revised SR 4.25.1(1)	147
7	1	10.10.17	17.10.17	Revised SR 4.09.1(6)(e)	116
8	1	17.10.17	22.10.17	Revised SR 16.03.1	366
9	1	01.06.18	05.06.18	Revised SR 3.75.1	95, 96 & 23
10	1	10.05.18	20.05.18	Revised SR 4.57.3	184
11	1	11.05.18	20.05.18	Revised SR 3.61.2(a)	75
12	1	08.06.18	15.06.18	Revised SR 16.3.5	369
	2	26.05.18	27.05.18	Revised SR 16.3.6	
	3	26.05.18	27.05.18	ADD SR 16.3.7	
13	1	20.06.18	21.06.18	Item no. of SR 16.3.7	369
14	1	06.07.18	18.07.18	Revised SR 3.47.1	55
15	1	10.08.18	12.08.18	Revised SR 4.19.3(b)	134 & 135
16	1	07.12.18	11.12.18	Revised SR 3.78.3	99
	2	07.12.18	11.12.18	Revised SR 3.78.5 (Deleated)	100
17	1	31.12.18	1.1.19	Revised SR 16.03.01	366
18	1	03.01.19	04.01.19	Revised GR 1.02	3
	2	03.01.19	04.01.19	Revised GR 1.02	4
	3	03.01.19	04.01.19	Revised GR 3.40(1)	53
	4	03.01.19	04.01.19	Revised GR 3.42	54
19	1	19.01.19	22.01.19	Revised SR 3.47.1	55
20	1	22.02.19	28.02.19	Revised SR 3.78.3	99/100

Scanned with CamScanner

	2			Revised SR 3.26.1	43
21	1	14.03.19	26.03.19	Revised SR 16.03.06 (e)	369/370
22	1	04.06.19	10.06.19	Revised SR 4.62.1 (e)	188
23	1	27.04.19	30.04.19	Revised SR 3.51.1 (b)	cancel
24	1	04.06.19	10.06.19	Revised SR 3.51.1 (b)	59
25	1	11.09.19	15.09.19	Revised SR 16.04.2	370
26	1	03.03.20	08.03.20	Revised SR 4.62.4 added below 4.62.3	188
27	1	24.09.20	31.09.20	Revised SR 4.10.2 added below 4.10.2	116
28	1	29.12.20	03.01.21	New SR 2.01.1	9
	2	29.12.20	03.01.21	New SR 4.19.6	137
	3	29.12.20	03.01.21	Add note below SR 4.42.3	174
29	1	09.04.21	12.04.21	GR 3.07 sub rule (7) substituted	22
30	1	18.11.21	20.11.21	Revised SR 1.03.1 (a)	08
31	1	29.11.21	30.11.21	Amendment Slip no. 11 is Revised SR 3.61.2(a)	75

Scanned with CamScanner